सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन व नियोजन

(वन अधिकार कानून २००६ अंतर्गत)

आठनाडा

२०१७-२०२७

रचना : ग्रामसभा आठनाडा

तकनिकी सहयोग : खोज

आभार

वन अधिकार कानून अंतर्गत सामुहिक वन अधिकारों को मान्यता मिलना यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। परंतु असली काम तो अधिकार के आगे ग्रामसभा द्वारा सामुहिक वन संसाधनों के प्रबंधन एवंम शास्वत उपयोग का है। समूचे देश में अधिकारों की मान्यता मिलने पर भी प्रबंधन-नियोजन की प्रक्रिया काफी मंद गति से आगे बढ रही है।

महाराष्ट्र में वर्ष 2013 से शुरूवात में यु.एन.डी.पी. (U.N.D.P.) के सहकार्य से तथा उसके पश्चात आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार की पहल से अब कई गांव मे प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन की प्रक्रिया चलाई जा रही। इसके तहत वर्ष 2016 से मेलघाट क्षेत्र के कुछ गांव के सामुहिक वन अधिकार प्रबंधन तथा संरक्षण नियोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिये व्ही.एन.सी.एस. (V.N.C.S.) के तथा आदिवासी विकास विभाग के हम आभारी है।

इस प्रक्रिया में खोज संस्था ने ग्रामसभा के साथ मिलकर यह प्रक्रिया चलाई और उम्मीद है, इस प्रक्रिया से सामुहिक वन अधिकारों के अमल को सही दिशा प्राप्त होगी। इस पूरी प्रक्रिया को आगे ले जाने में ग्रामसभाओ की बहुत बडी जिम्मेदारी है। ग्रामसभायें अपने अनुभव व अभ्यास के आधार पर इसमें बदलाव लाने का हक रखती है।

इस प्रक्रिया के साथ जुडे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार...!

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जमाती कार्य मंत्रालय
अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम,२००८
सामूहिक वनहक्कांचे हक्क
जोडपत्र - तीन
(पहा नियम (८)(ज))

१. सामुहिक वनहक्कधारकाचे नाव/ धारकांची नावे	: हटनादा येथिल ग्रामस्थ रा. हटनादा ता. धारणी जि. अमरावती.
२. गाव/ग्रामसभा	: रा. हटनादा ता. धारणी जि.अमरावती
३. ग्रामपंचायत	: काटकुंभ
४. तहसील/ तालुका	: धारणी
५. जिल्हा	: अमरावती
६. अनुसुचित जमाती आहे की/ इतर पारंपारिक वननिवासी आहे	: अनुसुचित जमातीचा समुह- व इतर पारंपारिक वननिवासी समुह
७. सामुहिक हक्कांचे स्वरुप	: कंपार्टमेंट नं. ६९२ क्षेत्र १५४.३१ हे.आर जमिनीमध्ये गौण वनोत्पादन, मासे मारणे, जलसंपत्ती, जैविक विविधता, बौध्दीक संपत्ती, स्मशान भुमी, पूजा स्थान व पुजास्थानावर जाण्या येण्याचे रस्ते, चराई इत्यादी सामुहिक कामाचे व वनाचे संरक्षण, संवर्धन, पुर्ननिर्माण व व्यवस्थापन
८. शर्ती काही असल्यास	: शर्ती व अटी मागील पृष्ठावर नमूद केल्यानुसार
९. रुढी प्राप्त सीमांसह किंवा खासरा / खंड क्र यासह ठळक सीमाचिन्हे दर्शवुन केलेले सिमांचे वर्णन	: कंपार्टमेंट न. ६९२ क्षेत्र १५४.३१ हे.आर

<u>सामुहिक वनहक्क धारकाचे नांव (धारकांची नावे)</u>

हटनादा येथिल सर्व ग्रामस्थ

आम्ही खालील सही करणार, याव्दारे महाराष्ट्र शासन यांच्यासाठी व त्यांच्या वतीने, सामूहिक वनहक्काच्या उपरोल्लिखित धारकांना शिर्षकात उल्लेखिल्याप्रमाणे वनहक्क कायम करण्यासाठी, आमच्या स्वाक्षऱ्या करीतआहोत.

उपवनसंरक्षक, अमरावती विभाग,
अमरावती

अपर आयुक्त, आदिवासी विभाग,
अमरावती

जिल्हाधिकारी, अमरावती

अनुक्रमणिका

अ.क्र	विवरण	पान क्र
	आठनाडा एक नजर मे	५
	परिप्रेक्ष्य	६
	वन अधिकार धारको के कर्तव्य	७
	गांव का इतिहास : वन – लोकजीवन	९
	गांव समाज की स्थिती	११
	वन तथा जैव विविधता का वर्तमान स्वरूप	१५
	वन संसाधनो का इस्तेमाल : वर्तमान जरूरते	३२
	प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य	३५
	वन नियोजन की दिशा	३६
	संसाधन आरेखन पद्धती	३८
	प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया	३९
	भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)	४०
	नियम तथा दस्तावेजी नोंद	४४
	विवादों का निराकरण	४५
	परिशिष्ट : 1) सुक्ष्म नियोजन	
	2) स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम	
	3) ग्रामसभा की नोटीस तथा ठराव	
	4) संक्षिप्त	

आठनाडा : एक नजर में

- तहसिल : धारणी जिला : अमरावती.
- कुल सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र 154.31 हेक्टर आर.
- कुल परिवार : 64
- सभी परिवार सामुहिक वन अधिकार धारक है।
- मूल निवासी : आदिवासी (अनुसूचित जनजाती)
- वन संसाधन : मध्यम दर्जे का साधारण वन मिश्र पेड-वृक्ष, वनस्पती प्रजातीयाँ साधारण संख्या एवं स्वरुप में।
- गांव एवं वन : जलागम क्षेत्र का संवर्धन कर वन वृद्धी करने के इच्छुक लोग। अल्प खेती, रोजगार हमी की मजदुरी के अलावा मौसमी स्थलांतरित मजदूरी कार्य करने वाले परिवारों को गांव क्षेत्र में वनों के कार्य का विकल्प तथा आजिविका सुनिश्चित करने का बेहतर अवसर।

2. परिप्रेक्ष्य

वन अधिकार कानून 2006 में सामुहिक वन अधिकार से जुडे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आदिवासी एवंम परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) कानून 2006 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मान्य किया गया। कानून की धारा (3) अंतर्गत सामुहिक वन अधिकार से जुडे निम्न प्रावधानों को मान्य किया गया है।

3 (1) ख : सामुदायिक अधिकार, जैसे की, निस्तार अथवा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिनके अंतर्गत तत्कालिन राजाओं के राज्यों, जमीनदारों या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रयुक्त अधिकार भी सम्मिलित है।

3 (1) ग : गौण वन उत्पादों के, जिनका गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपारिक रूप से संग्रह किया जाता रहा है, स्वामित्व, संग्रह करने के लिए पहूँच, उनका उपयोग और व्ययन (Dispose) का अधिकार रहा है।

3 (1) घ : यायावरी या चारागाही समुदायों को मस्त्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह (स्थापित और घुमंतू दोनो) उपयोग या उनपर हकदारी ओर पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहूँच के अन्य सामुदायिक अधिकार।

3 (1)झ : ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार, जिसका वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रूप से संरक्षण कर रहे है।

3 (1) ट : जैव विविधता तक पहूँच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार।

अधिकार धारकों को संरक्षा हेतू निर्वाह करने वाले कर्तव्यों के बाबद कानून के भाग 5 में निम्न प्रावधान किये गये है।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य

5. किसी वन्य अधिकार के धारक, उन क्षेत्रों में जहाँ इस अधिनियम के अधिन किन्ही वन अधिकारों के धारक है, ग्रामसभा और ग्राम स्तर की संस्थाएँ निम्नलिखित के लिए सशक्त है.

(क) वन्य जीव, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना।

(ख) यह सुनिश्चित करना कि, लगा हुआ जलागाम क्षेत्र, जल स्त्रोत और अन्य परिस्थितिकिय संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासीयों का निवास किसी प्रकार के विनाशकारी व्यवहारों से संरक्षित है जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहूँच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जो वन्य जीव, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ग्राम सभा में लिए गए विनिश्चयों (निर्णयों) का पालन किया जाता है।

इस कानून के 14 वे भाग में, केंद्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों पर अमल होने के लिए आगे नियम बनाये है।

अनुसूचित जनजाती तथा परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 यह 1 ली जनवरी 2008 से लागू हुए । नियम 4 में ग्रामसभा के कृत्यमें दर्शाया गया है, अनुसार 4 (1)(ई) की समिती स्थापित करना जो अपने सदस्यों द्वारा इस कानून के भाग 5 के प्रावधानों को आगे चलाने हेतू वन्यजीव, वन तथा जैवविविधता की संरक्षा के लिए कार्य करें।

06/02/2012 को इस नियम में भारत सरकार ने संशोधन किया है। और इसे अब अनुसूचित जनजाती तथा पारंपारीक वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) संशोधित नियम 2012 कहलाता है।

4 (1) फ : को बदल कर 4 (1)(ई) कर दिया है जो निचे दिये अनुसार है।

4 (1) : नियम 4 (1) डः या 4 (1)(ई) अंतर्गत बनी समिती पर उचित देखरेख तथा नियंत्रण करना ताकि वह अपने वन संवर्धन और व्यवस्थापन का नियोजन बना सकें जिससे सामुदायिक संसाधनों का समान और चिरस्थायी व्यवस्थापन आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वन निवासीयों के लिए कर सके और अपने व्यवस्थापन नियोजन (Management Plan) को वनविभाग के सूक्ष्म नियोजन या कार्ययोजना में समिती द्वारा यथा उचित माने सुझावों के साथ उसको अंतर्भूत करें।

इस के तहत गठीत की गई समिती ही प्रबंधन-नियोजन का खाका तयार करेगी।

गाव का इतिहास : वन - लोकजीवन

गाव : हटनादा

(अटनादा, हातनादा, हातनाडा, आठनाडा)

आठनाडा गांव मेलघाट क्षेत्र के तहसिल धारणी जिला अमरावती (महाराष्ट्र) के, काटकोम गट ग्राम पंचायत अंतर्गत वनविभाग-पश्चिम मेलघाट में बसा है। तहसिल मुख्यालय धारणी से उत्तर-पूर्वी वन-पहाडी क्षेत्र में लगभग 24 कि.मी अंतर पर निसर्ग रम्य परिसर में स्थित यह आदिवासी (कोरकु) का छोटा सा गांव है।

आठनाडा गांव के पूर्व-दक्षिण भाग में छोटी नदी बहती है गांव के आस-पास जहाँ थोडी समतल जगहे है, गावंवासीयों की खेत जमीन है तथा इससे आगे चारो और पहाड एव जंगल है। गांव से उत्तर में लगभग 15 कि.मी दूरी पर तापी नदी पूर्व-पश्चिम प्रवाह में बहती है जो महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश राज्य की सीमा दर्शाती है। पुराने समय से यहाँ के लोगों का मध्यप्रदेश से संबध-संपर्क रहा है।

अनुसूचित जनजाती एवं परंपरागत वन निवासीयो का वनों पर अधिकार मान्यता कानून 2006-नियम 2008 के तहत, ग्रामसभा-आठनाडाने अपने-पास पुराने समय से आजिविका हेतू इस्तेमाल करते आ रहे वन-क्षेत्र, वन, जल, तथा अन्य सम्पत्ती पर अधिकार का दावा दाखल किया, जिस आधार पर, शासन द्वारा कम्पार्टमेंट क्र. 692 मे 154.31 हे.आर. क्षेत्र मंजूर किया गया।

'ग्रामसभा' आठनाडा के सभा में इसके आगे, संरक्षण, संर्वधन, पुनःनिर्माण पर विचार-चर्चा एवं ठराव किये गये। 'खोज' संस्था के तकनिकी सहयोग, तथा शासन की विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का आधार लेकर ग्रामसभा ने इस दिशा में कार्य शुरू किया।

गांव के बुजुर्ग व्यक्तीओ ने चर्चा मे बताया कि, अंदाजन 100 साल पहले, इस वन क्षेत्र में वन विभाग के लोग उन के पूर्वजों को जंगल-पेड काटने के लिए मजदूर के रूप में प्रत्येक मौसम मे लाते थे। तब जंगल में अलग-अलग जगहों पर मजदूर के कॅम्प लगते थे। जंगल से सागवान तथा अन्य वृक्षों की कटाई के साथ, जहाँ तक जरूरत के मुताबिक कच्चे (पत्थर-मुरमके) रास्ते भी बनाने पडते थे।

इन मजदूरी कार्य तथा वनों से कंद-मूल,फल,पत्ते-भाजी तथा शिकार एवं मछली-खेकडे पकड कर भोजन की सोय (व्यवस्था) करते थे।

कुछ समय के बाद, इन घने जंगलो में पहाडी क्षेत्र के बीच काफी समतल जगह जहाँ नदी के किनारे काफी बडा आठना का पेड था जिनके जडों के भाग से निरंतर रूप से पानी का बडा झरना बहता था। यहाँ का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। अतः यह जगह गांव बसाने के लिए लोगो ने सोच-विचार कर निश्चित की। और 7 या 8 झोपडीयाँ बनाकर यहाँ इतने परिवार बस गये। इस बस्ती को नाम देने बाबद लोगों ने विचार किया तब उन्हे इन जंगलो में आठना के बहुत सारे पेड होने तथा आठना के जड के झरने का पानी भी पिने को इस्तेमाल करने का आधार लेकर, आठना-पेड तथा कोरकू भाषा में 'डा' मतलब पानी ऐसा मिलाकर गावं का नाम 'आठनाडा' रखना तय हुआ। (जिसे कालांतर में पढे-लिखे लोगों की भाषा में शब्द का स्वरूप बदलते, अपभ्रंश होते, हातनादा हो गया।)

'आठनाडा' गाव अगले 20/40 वर्षो में परिवार संख्या/जनसंख्या से बढता गया। लोगों की जरूरते भी बढती गई। जंगल विभाग के काम भी कम होते गये। इस अवधि मे गांव वालों का खेती जोतना बढता गया। साथ ही इस क्षेत्र के जंगल में आठना के वृक्ष बडी संख्या में थे, जिसकी लकडी मजबूत तथा घर-मकान बनाने के काम मे भी इस्तेमाल की जाती थी। बडे शहर जैसे मध्यप्रदेश के तहसील बुरहानपुर तथा खंडवा जो जिले का शहर था यहाँ इस लकडी को बडी मांग थी। वहाँ के बेपारीयों ने आकर गावं वालो से लकडी खरेदी शुरू की। अतः कमाई-रोजगार के जरीये के रूप में लोगों ने आठना के पेड काट कर बेचना शुरू किया। इस का भाव-मुआवजा भी अच्छा मिलता था। जिससे लोगों के परिवार का गुजर-बसर चलता रहा।

गांव की सामान्य जानकारी कुटुंब सर्वेक्षण से प्राप्त हुई, जिसे हम निम्न तालीकाओं मे देख सकते है।

गांव समाज की स्थिती

जनसंख्या :

कुल परिवार	पुरूष	महिला	कुल संख्या
64	157	165	322

उम्र समुह	महिला	पुरूष	कुल13 संख्या
0 ते 3 साल	07	08	15
3 ते 6 साल	11	02	13
6 ते 14 साल	24	28	52
14 ते18 साल	26	21	47
18 ते 35 साल	54	53	107
35 ते 65 साल	43	45	88
65 ते अधिक	0	0	0
कुल	**165**	**157**	**322**

जाती निहाय्य :

कुल परिवार	ST	SC	NT	OBC	इतर
64	64	00	0	0	0

कुल परिवार	पुरूष प्रधान	महिला प्रधान
64	59	05

अंगणवाडी	**10**	**18**	**28**

शैक्षणिक स्थिती :

शिक्षण	पुरुष	महिला	कुल संख्या
प्राथमिक	70	63	133
उच्च प्राथमिक	14	16	30
शालांत (माध्यमिक)	30	32	62
उच्च शालांत (उच्च माध्यमिक)	09	16	25
पदवी	03	0	03
अन्य	01	0	01
कुल	**127**	**127**	**254**

रेशन कार्ड की स्थिती :

रेशन कार्ड धारक	कुल संख्या
अंत्योदय	00
दारिद्रय रेखा के निचे	60
दारिद्रय रेखा के उपर	04
कार्ड नही है।	00

भुमिधारक की स्थिती :

भुमिधारक परिवार	भुमिहिन परिवार
57	07

आजिविका की स्थिती :

अ.क्र	आजिविका के स्त्रोत	कुल कुटूंब
1)	खेती	57
2)	मजदुरी	07
3)	सरकारी नौकरी	00
4)	अन्य	00

अ.क्र	जनसंख्या कि विभाजित स्थिती	कुल संख्या
1)	विधवा	05
2)	विधुर	03
3)	वयोवृध्द	00
4)	अंध	00
5)	शारिरिक अपंग	01
6)	परित्यक्ता	–

जनसंख्या विभाजन की स्थिती :

अ.क्र	परिवार	इंधन लकडी	स्थलांतर	पिने की पानी के स्त्रोत	खेत जमीन
1)	64	1152 प्रतिवर्ष		हातपंप/नळ/विहिर	45=67 हे. आर

चारा कि स्थिती :

अ.क्र	पालतु जनावर	कुल संख्या		प्रतिवर्ष जरूरत कि.ग्रॅ.
1)	बैल	92	X 3 = 276 X 365	100740
2)	गाय	43	X 3 = 129 X 365	47085
3)	भैस	13	X 5 = 65 X 365	23725
4)	बकरियॉ	108	X 1 = 108 X 365	39420
5)	एकूण	–	–	210970

इस तालीका से प्रमुख समझ में आने वाले मुद्दे :

- इस गाव में लिंग अनुपात में महीलाओं की संख्या अधिक है।
- सभी परीवार आदिवासी समुदाय के है।
- 5 परिवार महीला पंमुख के है।
- साक्षरता की स्थिती मे महीला पुरूष की संख्या बराबर है परंतु उच्च माध्यमिक से आगे कोई महीला वर्ग पढने नही पहुँच पाया है।
- माध्यमिक/उच्चमाध्यमिक तक पढ चुके या पढ रहे युवतीयो की संख्या 48 है अतः इनके लिए रोजगार/स्वयंरोजगार/प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत नजर आती है।
- कुल 64 परिवार मे से 57 परिवार किसान है अर्थात अल्पभुधारक किसान-मजदूर ही ज्यादा है अतः कृषि किसान कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

वन तथा जैवविविधता का वर्तमान स्वरूप

ग्रामसभा आठनाडा की बैठक में इस क्षेत्र के वन-संपत्ती का जतन, देखरेख, संरक्षण, संवर्धन के विषय पर चर्चा-विचार किया। आगे निश्चित किए जाने वाले कृती कार्यक्रम का निर्धारण करने के लिए, गा के जानकार 'खोज' का तकनीकी समूह साथ मिल कर वन की वर्तमान स्थिती जानने हेतू प्रत्यक्ष गणना मोजमाप (स्टॉक मॅपिंग) कार्यक्रम तय किया गया। स्टॉक मॅपिंग की प्रक्रिया शुरू करते समय उपयुक्त साधन-जिसमें, सामूहिक वन अधिकार प्राप्त क्षेत्र प्रमाणपत्र प्रत, वनखंड के नक्शे, रस्सी, पेन्ट, चुना, ब्रश, जी.पी.एस. मशीन, कोरे कागज, कार्बन, पेन्सील, शार्पनर, टेलर टेप, कोरे फार्मेटस, ट्रेस पेपर, आलेख पेपर, स्केल, फाईल, रंग, टर्पेन्टाइन, लाईनींग पेपर, किसानों की यादी, 100मीटर रस्सी, फोटो निकालने के लिए कॅमेरा, तथा उपयूक्त मानवीबल समूह को जोड-जुटाया गया।

गांव में मुनादी (दवंडी) दे कर सभा बुलाई गई, तथा स्टॉक मॅपिंग प्रक्रिया की चर्चा की गई। सामुहिक वन क्षेत्र के मोजमाप एवं नियोजन की प्रक्रिया में वनविभाग के वनखंड नकाशे अनुसार स्केल-प्रमाण निश्चित कर आलेख पेपर पर बडा नकाशा बनाया गया। 154.31हे.के. क्षेत्र का 2 प्रतिशत गिनती कर जाना गया तब 6 चौकोन (डब्बे) 100X100मिटर के गणना करने हेतू तय किए गये। 154.31हे.आ. क्षेत्र में कौन से पेड-वनस्पती है। कौन से ज्यादा थे। साथ ही इस वन क्षेत्र में पहले कौन से पेड-वनस्पतीयों के प्रमाण अधिक थे। तथा कम कैसे हुए इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही वन क्षेत्र में पेड, झुडुप, बेल-लताएँ, नदी, नाले, जल स्त्रोत, देवी-देवताओं के स्थान, कहाँ कैसे है तथा उसके संरक्षण, संवर्धन,रखरखाव, पुनरूज्जीवित करना आदि मुद्दों पर सभा में चर्चा की गई। इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए तारिख निश्चित कर स्टाक मॅपिंग कार्य करना, वन विभाग को पत्र देना तय हुआ। प्रत्यक्ष निश्चित तारीख को गाँव बैठक में गांव के युवक, पुरूष, महिलाएँ, बुजुर्ग-जानकार के साथ तकनीकी टीम ने वन क्षेत्र में जा कर अभ्यास-गणना, मोज-माप, कर उसकी नोंद की। नियोजन में तय किए मुताबिक 100मि.X100मि. के चौरस गीन कर तय किए गये तथा उस भाग में स्थित सभी प्रजाती के पेड, वृक्षों को 15 सें. मी. घेर से कम तथा 15 सें.मी. घेर से अधिक ऐसे विभाजीत स्वरूप मे गिनती कर नोंद की गई।इसके बाद, जंगल में

किन-किन प्रकार के झाडी, झुडुप, बाँस, घास, औषधी एव अन्य वनस्पती, नदी-नाले, प्राणी, किटक, रेंगनेवाले जीव, पक्षी, प्राणियों की विष्ठा, लोगों के श्रद्धास्थान, इन की नोंद की गई। साथ कहाँ-किस जगह पर कौन सा कार्य किया जा सकता है यह पूरा जंगल घूमते हुए तय कर नोंद की गई।

इस प्रक्रिया से प्राप्त जानकारी : वनखंड 692 के 154.31 हे.आर.क्षेत्र में कुल 154 चौकोन नक्शे के प्रमाण से तय किए गये। इनमें से पूरे जंगल की स्थिति समझने के लिए प्रतिनिधिक रूप मे 06 चौकोन क्रमशः क्रमांक 01/31/61/91/121 तथा 151 चुने गये। प्रत्यक्ष देखने पर समझ आया कि, क्र. 91 तथा क्र. 121 के भाग पर अधिकतर क्षेत्र में लोग अतिक्रमण कर खेती जोत रहे है। अंदाजन 0.40 हे.क्षेत्र में जंगल है। इसी वनखंड क्र. 692 में आठनाडा गांव की बस्ती भी बसी हुई है साथ ही गावठाण तथा पट्टेधारकों की खेत जमीन भी इसी क्षेत्र में समाई है। गणना करने पर यह अंदाज आया कि, 80 से 85 हेक्टर का क्षेत्र ही सिर्फ गांव के सामूहिक वन संसाधन क्षेत्र में बचा हुआ है।
इस शेष क्षेत्र में गिनती करने पर निम्न नोंद की गई।

- **पेड/वृक्ष :** सागवान, आठ्ना, हल्दू, बारू, महुआ, चारोळी, अमलतास, धामनी, दुधारी, धावळा, बोसाई, गुटी, केकडा, मोहिन, चेकरेज, टेमरू, कुंभी, बेल, लेंडया, आवला, साजड, जहा, तिवस, बेहडा, रोहिणी
- वनों में बांस की रांझी भी है।
- **बेल :** तोनान बेल, वासन वेल, कोलू, काचकोरी (खुतरू), शतावरी (भुई चिलाटी), चिलाटी, पिंजवेल, गुंजा, बायल (बाहेल), गोगडू.
- **वनौषधी के प्रकार :** भुमका जडी, सुईकु वेली, शतावरी, कोलू, बाहेल, पिंजवेल, मुसली रानतुळ्स, ओते पळ्सा, सिळीकू आटी, कोचोरा, कुम्भी.
- **घास :** पोहणार झारा, कुंदा, काऊस, सागा झारा, धुकणी झारा, गोफणी झारा, धागळी झारा, तरोटा.
- **झुडुप-झाडी :**
- **अन्य वनस्पती :** रान तुळ्स
- **प्राणी :** बंदर, सुअर, ससा, हरिण (हिरण) तूर (गिलहरी/खार)
- **रेंगनेवाले जीव :** गिरगिट (सरडा), सर्प (साप).

- **प्राणियों की विष्ठा :** रोही, हिरण, ससा, भालू (अस्वल), निल गाय, गाय, बैल, बकरी.
- **पक्षी :** तोता (पोपट) हरियल, लावा, तितर (होरे) निळकंठ, गरूड, सुतार पक्षी, चिवीच साथभाई (कोलाई), दाऊचीच बोरे सालो, झोरीयान कू, घुबड डुडा

स्टॉक मॅपिंग :– सामुहिक वन अधिकार प्राप्त वनखंड क्र. 154.31 हे. के 100 मी. x 100 मी. चौकोन नकाशा के 2% नमुना क्षेत्र, से चुने गये चौकोन क्षेत्र के वृक्षों की गणना																	
गांव:– आठनाडा		तालुका:– धारणी						गणना की तारिख. 02 जाने 17 ते 05 जाने 2017 पार्यंत									
अ.क्र	पेड वृक्षों के नाम	चौकोन क्र. 1		चौकोन क्र. 31		चौकोन क्र. 61		चौकोन क्र. 91		चौकोन क्र. 121		चौकोन क्र. 151		एकुण		एकुण	Average
		छोटे	बडे	छोटे	बडे	छोटे	बडे	छोटे	बडे	छोटे	बडे	छोटे	बडे	छोटे	बडे	एकुण	सरासरी
1	सागवान	39	95	41	68	12	73	पट्टे खेती अतिक्रमण खेती और गांव				77	138	169	374	543	135.75
2	आवला	18	71	0	0	0	0					13	39	31	110	141	35.25
3	हलदु	22	57	0	0	17	48					23	25	62	130	192	48
4	वारू	17	63	0	0	14	46					18	35	49	144	193	48.25
5	महुआ	4	15	0	0	0	0					11	45	15	60	75	18.75
6	चारोळी	2	11	2	15	0	0					0	0	4	26	30	7.5
7	अमलतास	22	61	0	7	3	23					0	0	25	91	116	29
8	वायनी	16	52	0	0	0	0					0	0	16	52	68	17
9	घुटी	0	37	0	0	0	0					0	0	0	37	37	9.25
10	दुधानी	11	37	29	40	0	43					0	0	40	120	160	40
11	बोलाई	8	32	0	0	0	0					0	0	8	32	40	10
12	वायवळ	20	10	12	24	24	33					0	0	56	67	123	30.75
13	चेकोन	0	0	13	57	22	34					28	57	63	148	211	52.75
14	तिवास	0	0	8	36	0	0					0	0	8	36	44	11
15	टेम्भल(तेंदु)	0	0	18	28	4	20					19	43	41	91	132	33
16	कुल्ली	0	0	11	17	0	0					0	0	11	17	28	7
17	मोहा	0	0	4	30	0	0					23	55	27	85	112	28
18	बेहडा	0	0	0	7	0	0					0	0	0	7	7	1.75
19	पलास	0	0	2	17	0	0					0	0	2	17	19	4.75
20	आवळा	0	0	0	0	8	10					0	0	8	10	18	4.5
21	कुंभी	0	0	0	0	0	27					8	24	8	51	59	14.75
22	लेंडया	0	0	0	0	19	53					0	0	19	53	72	18
23	साजड	0	0	0	0	22	40					0	0	22	40	62	15.5
24	जाम	0	0	0	0	10	15					0	0	10	15	25	6.25
25	केकडा	0	0	0	0	0	0					20	5	20	5	25	6.25
26	बेला	0	0	0	0	0	0					13	14	13	14	27	6.75
		179	541	140	346	155	465					253	480	727	1832	2559	639.75

ग्रामसभा गांव : आठनाडा ता. धारणी
वनखंड क्र. 692

GPS रेडिंग

अक्षांश :

रेखांश :

1)N021⁰ 36.424 E077⁰ 02.128

N021⁰ 36.449 E077⁰ 02.081

प्लाट नं. 1

N021⁰ 36.461 E077⁰ 02.171

N021⁰ 36.515 E077⁰ 02.138

2)N021⁰ 36.522 E077⁰ 01.996

N021⁰ 36.512 E077⁰ 01.936

प्लाट नं.31

N021⁰ 36.570 E077⁰ 02.018

N021⁰ 36.564 E077⁰ 01.929

3)N021⁰ 36.654 E077⁰ 01.764

N021⁰ 36.612 E077⁰ 01.819

प्लाट नं.61

N021⁰ 36.601 E077⁰ 01.773

N021⁰ 36.623 E077⁰ 02.838

4)N021^0 36.424
E077^0 02.128

N021^0 36.449
E077^0 02.081

प्लाट नं.91 अतिक्रमण शेती

N021^0 36.424
E077^0 02.128

N021^0 36.449
E077^0 02.081

5)N021^0 36.424
E077^0 02.128

N021^0 36.449
E077^0 02.081

प्लाट नं.121 शेती,गांव

N021^0 36.424
E077^0 02.128

N021^0 36.449
E077^0 02.081

6)N021^0 37.365
E077^0 02.032

N021^0 36.368
E077^0 02.086

प्लाट नं.151

N021^0 37.313
E077^0 02.030

N021^0 37.314
E077^0 02.088

ग्रामसभा आठनाडा गाव को सामूहिक अधिकार में मंजूर क्षेत्र कम्पार्टमेन्ट नंबर 692 का क्षेत्र 154.31हे. आर. जंगल गाव को वन अधिकार कानून के अंतर्गत मिला है। यह उंचे-निचे, चढ-ढलान का पर्वतीय क्षेत्र है। यहा की जमीन मिट्टी, कंकर-पथरिली, लाल-भुरे रंग की निचले स्तर पर थोडी काले रंग की भी है। उपग्रह से प्राप्त नकाशे-चित्र के माध्यम से हम यहा के जलग्रहण क्षेत्र, भूस्तर संरचना, वनसंपत्ती आदी को आगे देख सकते है।

BASE MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

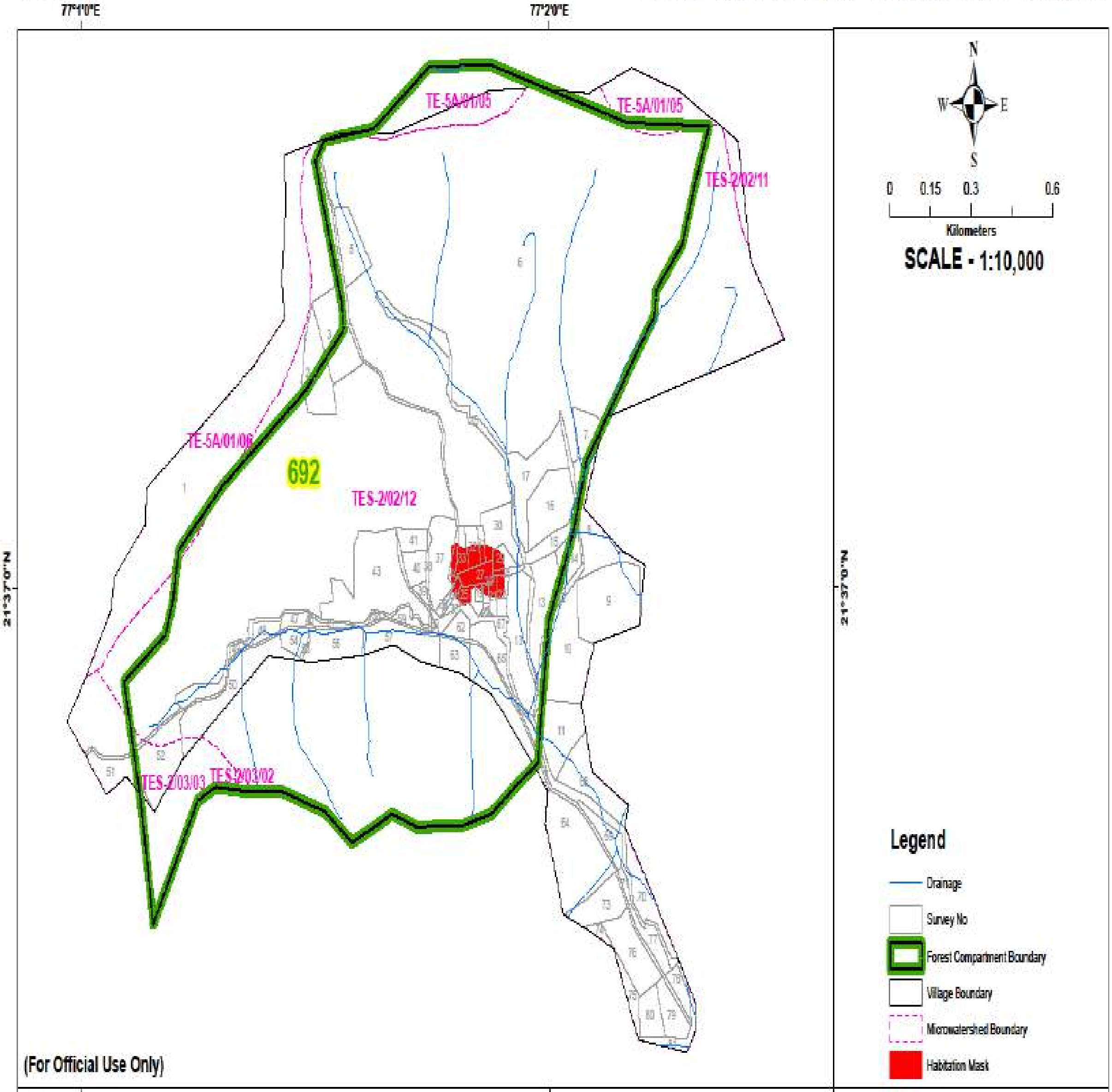

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

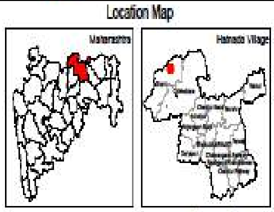

(Paper Size - A3)

GROUNDWATER PROSPECT MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

Groundwater Prospect	Area in Ha
Poor	3728.09
Habitation Mask	1.97

(For Official Use Only)

N, S, E, W

0 0.15 0.3 0.6 Kilometers

SCALE - 1:10,000

Legend

- Drainage
- Survey No
- Forest Compartment Boundary
- Village Boundary
- Microwatershed Boundary

GROUNDWATER PROSPECT

- Poor
- Habitation Mask

Location Map

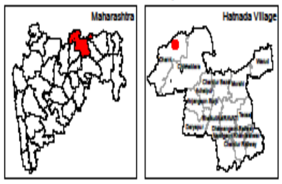

(Paper Size - A3)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

SLOPE MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

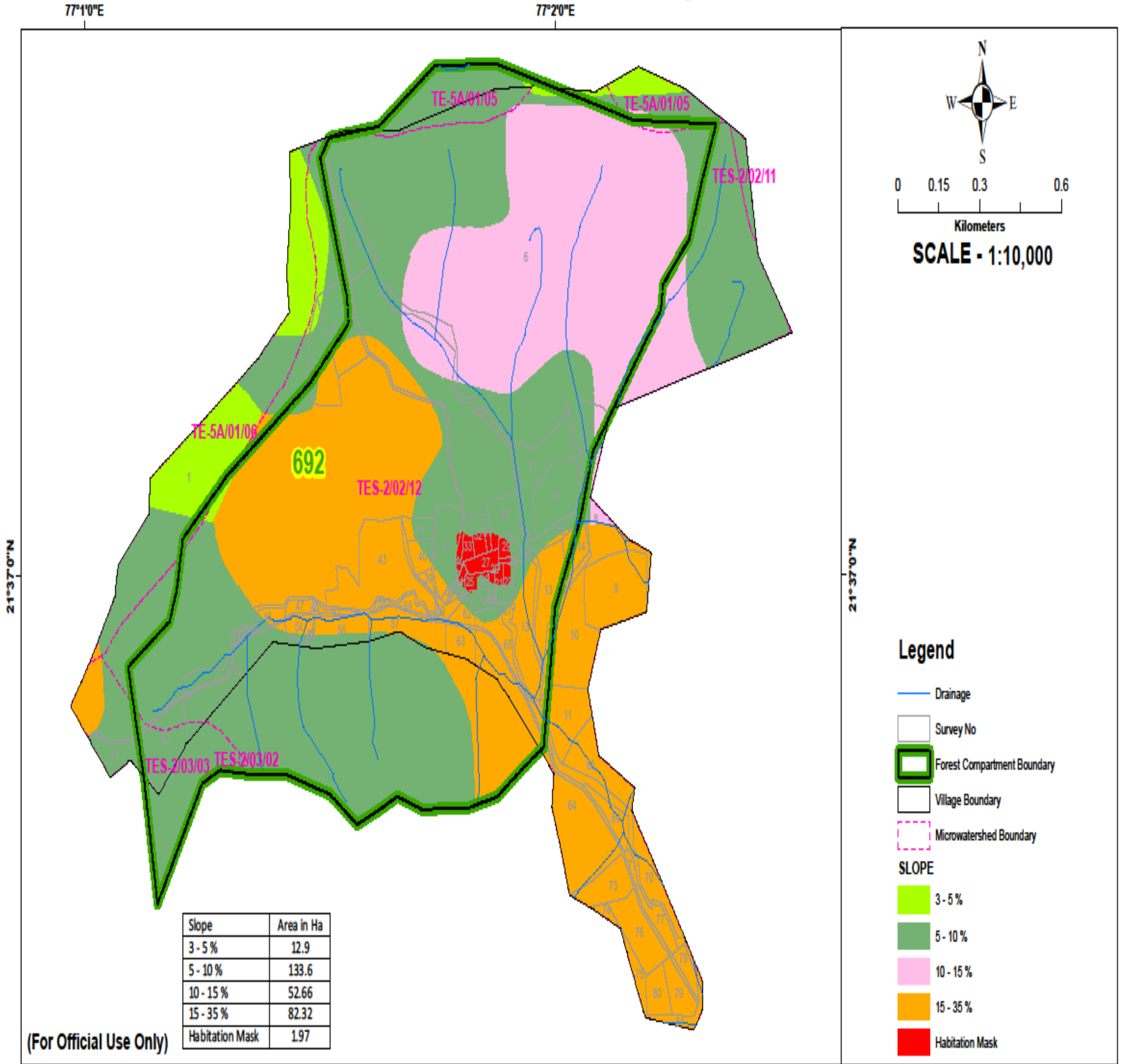

Slope	Area in Ha
3 - 5 %	12.9
5 - 10 %	133.6
10 - 15 %	52.66
15 - 35 %	82.32
Habitation Mask	1.97

(For Official Use Only)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC
Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

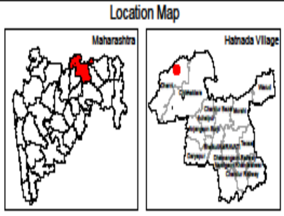

(Paper Size - A3)

SOIL EROSION MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

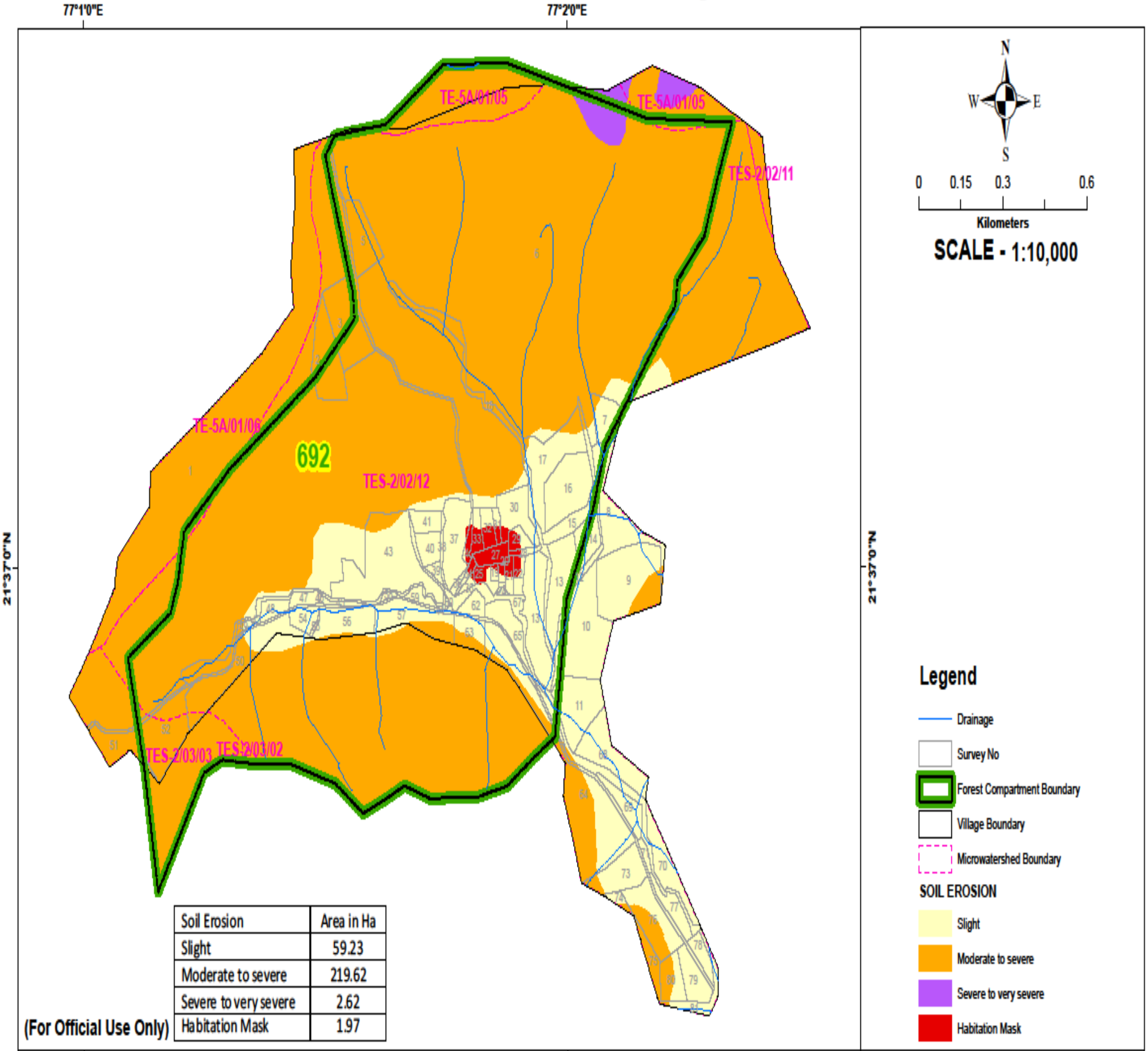

Soil Erosion	Area in Ha
Slight	59.23
Moderate to severe	219.62
Severe to very severe	2.62
Habitation Mask	1.97

(For Official Use Only)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC
Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

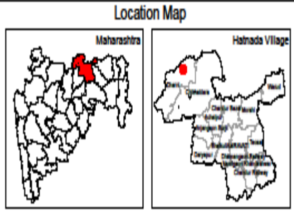

(Paper Size - A3)

SOIL DRAINAGE MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

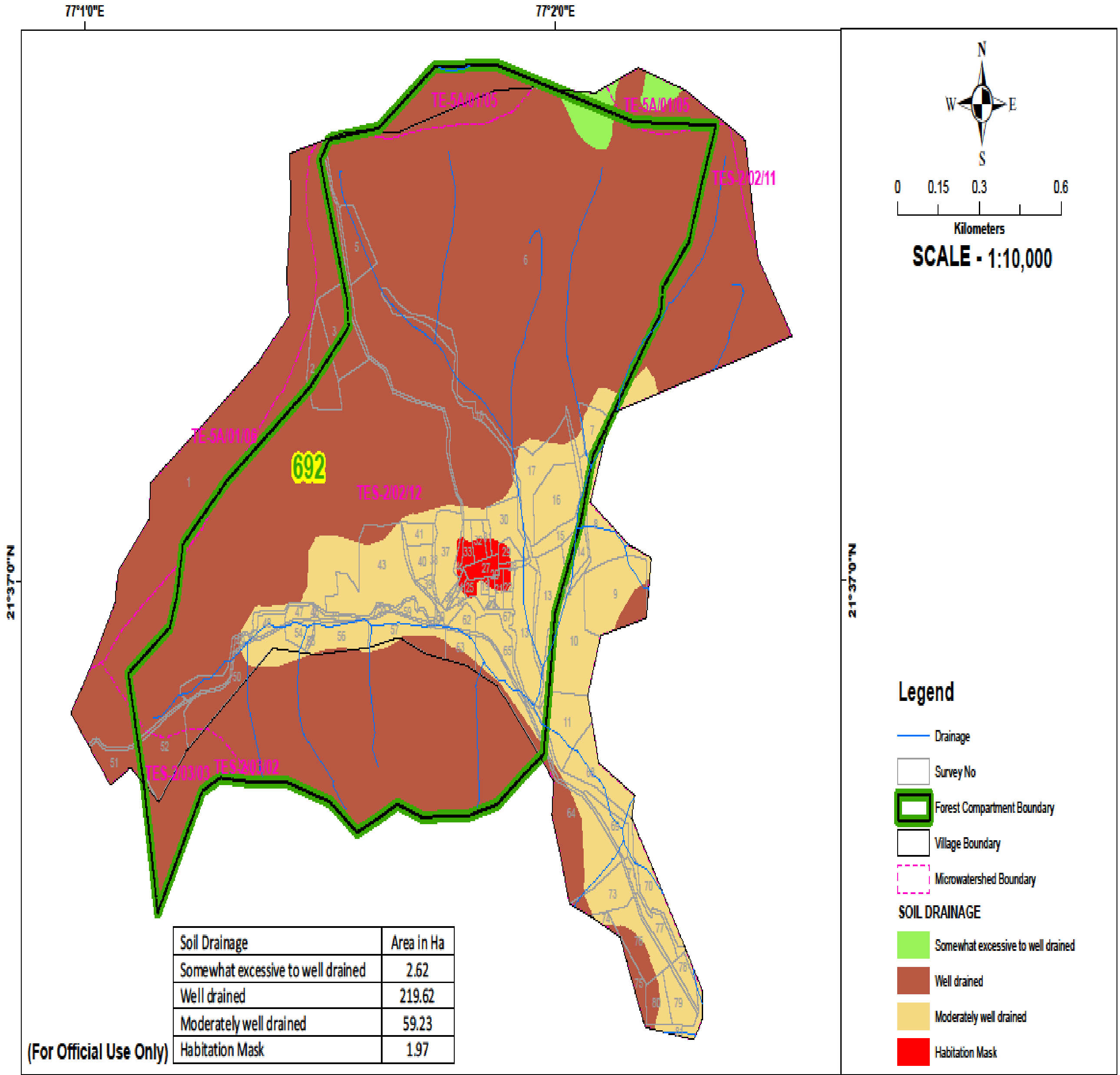

SCALE - 1:10,000

Soil Drainage	Area in Ha
Somewhat excessive to well drained	2.62
Well drained	219.62
Moderately well drained	59.23
Habitation Mask	1.97

(For Official Use Only)

Legend

- Drainage
- Survey No
- Forest Compartment Boundary
- Village Boundary
- Microwatershed Boundary

SOIL DRAINAGE

- Somewhat excessive to well drained
- Well drained
- Moderately well drained
- Habitation Mask

Location Map

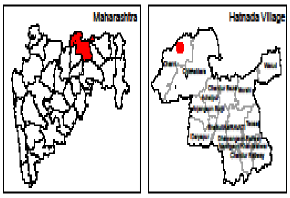

(Paper Size - A3)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

CONTOUR MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

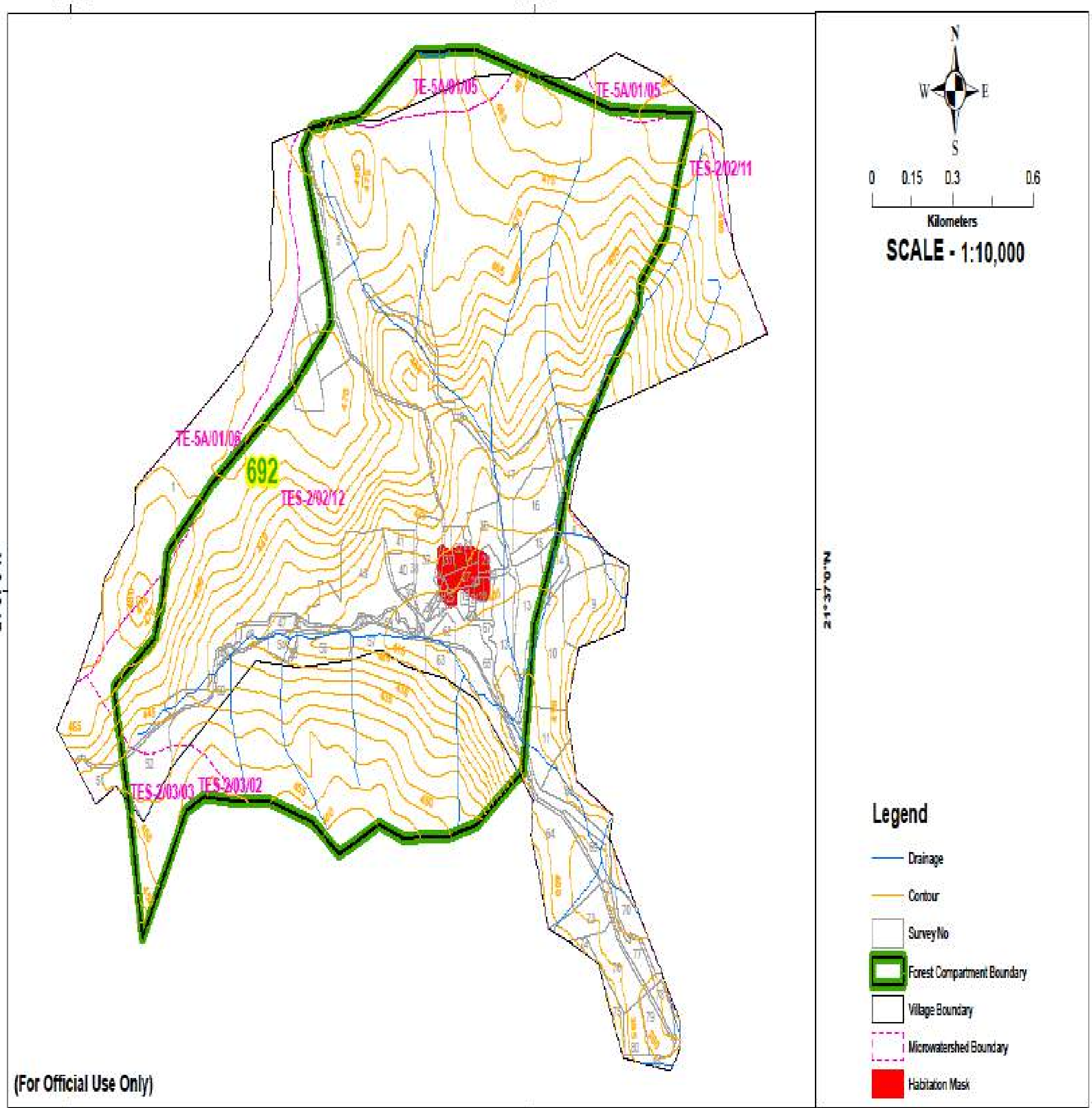

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

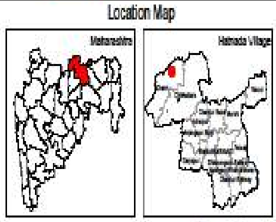

(Paper Size - A3)

SOIL DEPTH MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

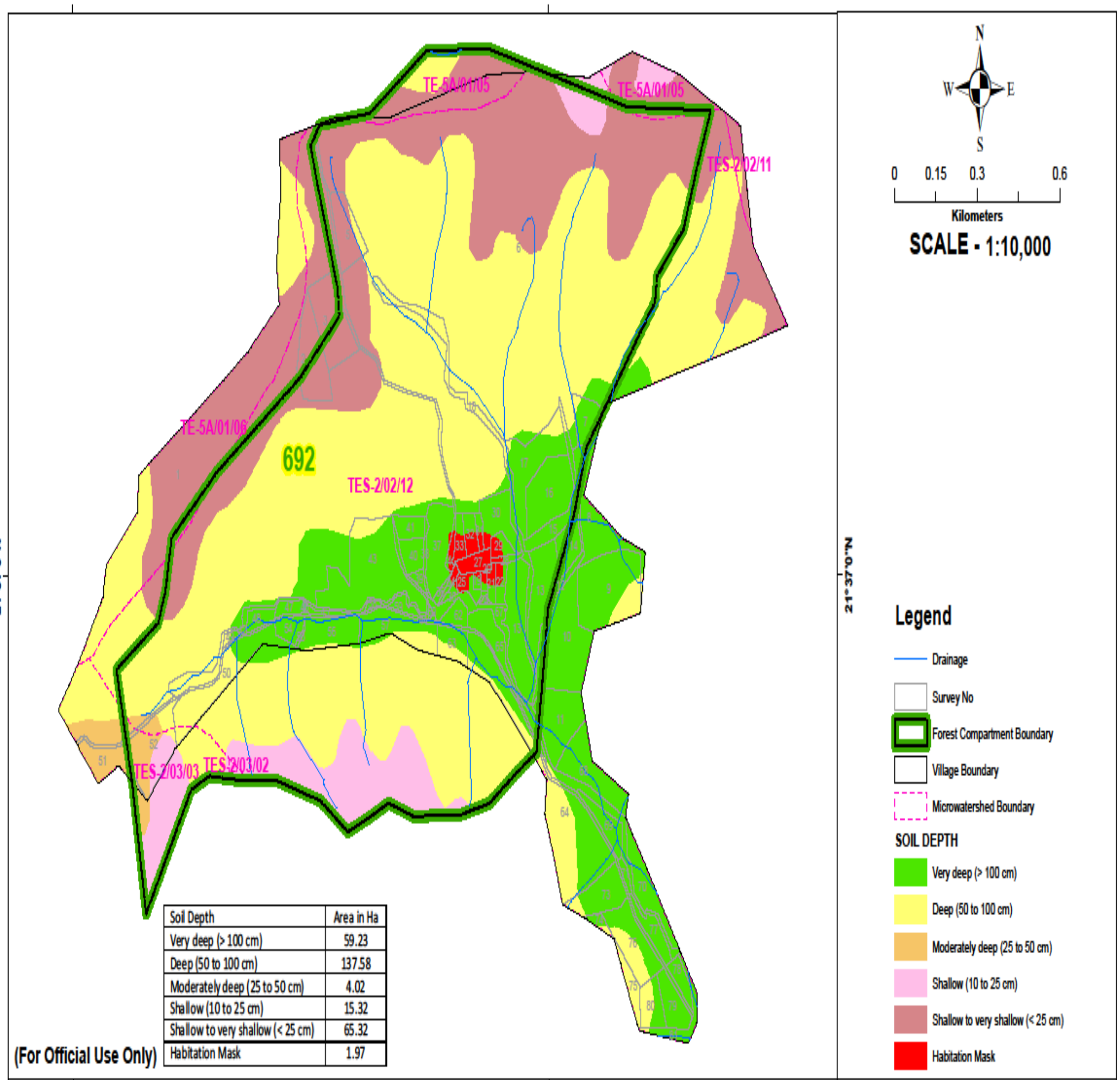

Soil Depth	Area in Ha
Very deep (> 100 cm)	59.23
Deep (50 to 100 cm)	137.58
Moderately deep (25 to 50 cm)	4.02
Shallow (10 to 25 cm)	15.32
Shallow to very shallow (< 25 cm)	65.32
Habitation Mask	1.97

77°1'0"E　77°2'0"E

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC
Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

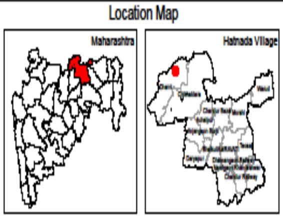

(Paper Size - A3)

SOIL TEXTURE MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

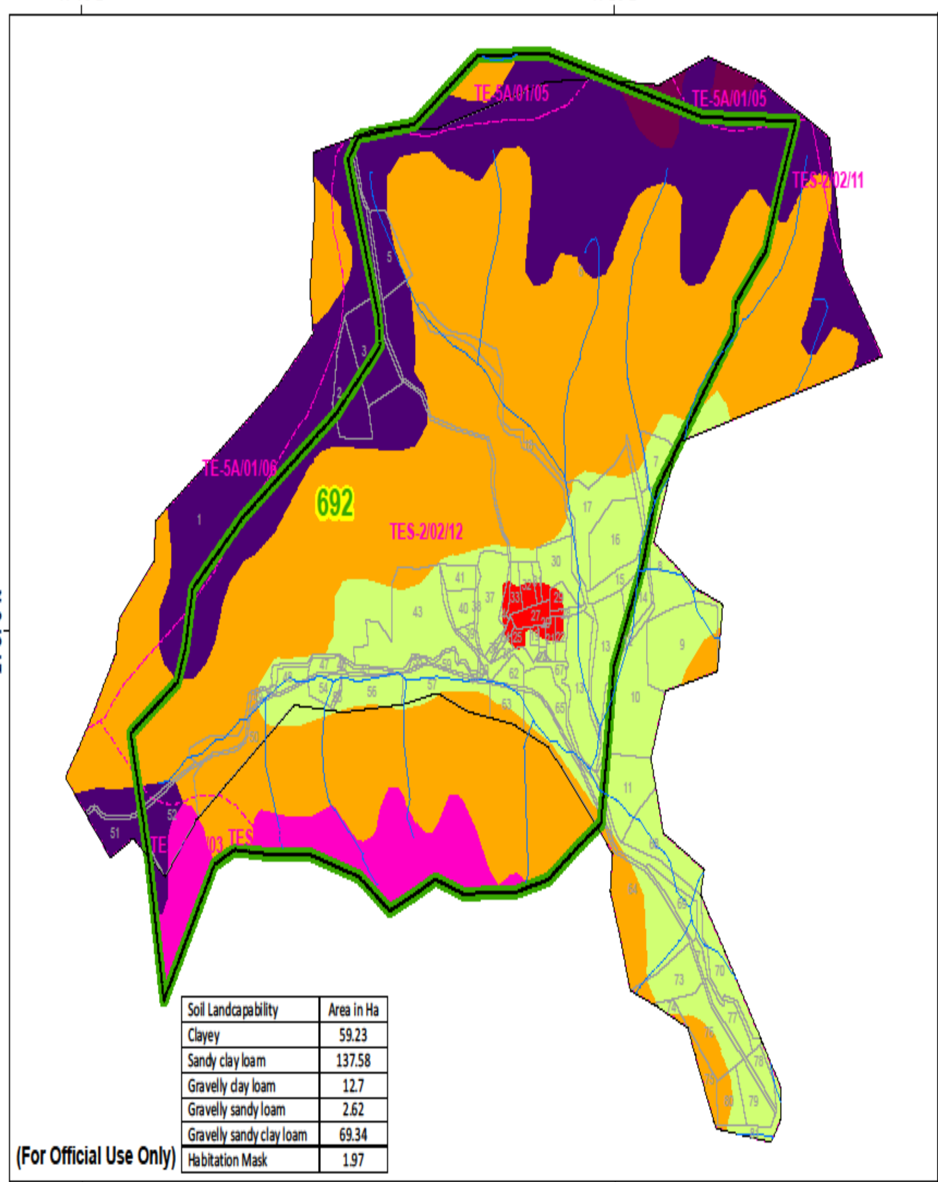

Soil Landcapability	Area in Ha
Clayey	59.23
Sandy clay loam	137.58
Gravelly clay loam	12.7
Gravelly sandy loam	2.62
Gravelly sandy clay loam	69.34
Habitation Mask	1.97

N
W E
S

0 0.15 0.3 0.6
Kilometers

SCALE - 1:10,000

Legend

- Drainage
- Survey No
- Forest Compartment Boundary
- Village Boundary
- Microwatershed Boundary

SOIL TEXTURE

- Clayey
- Sandy clay loam
- Gravelly clay loam
- Gravelly sandy loam
- Gravelly sandy clay loam
- Habitation Mask

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

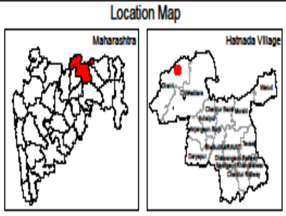

(Paper Size - A3)

LANDUSE LANDCOVER MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

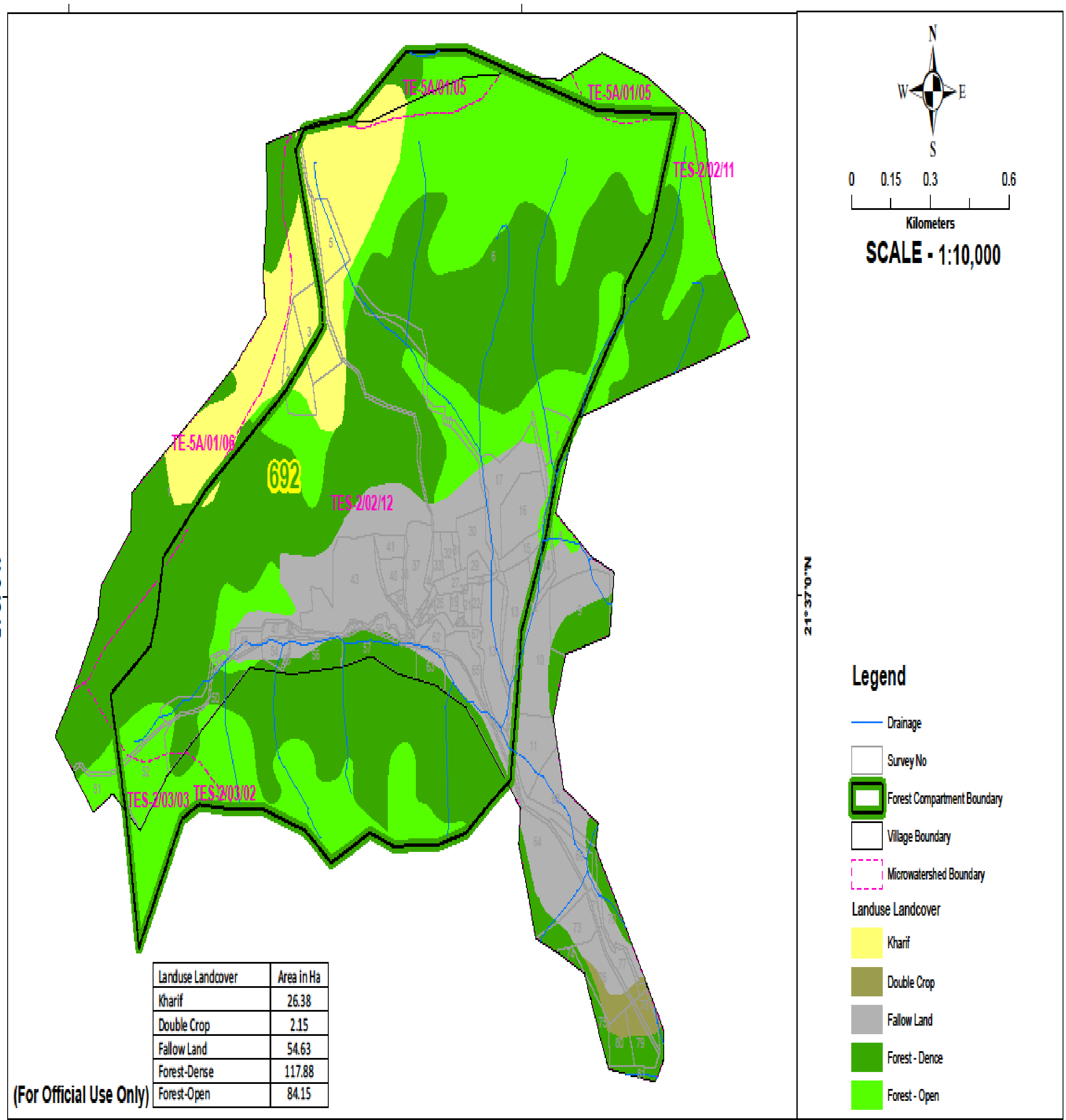

Landuse Landcover	Area in Ha
Kharif	26.38
Double Crop	2.15
Fallow Land	54.63
Forest-Dense	117.88
Forest-Open	84.15

(For Official Use Only)

Location Map

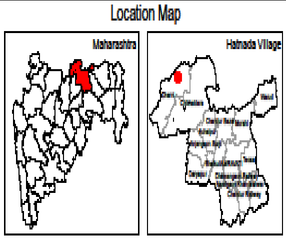

(Paper Size - A3)

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

SOIL LANDCAPABILITY MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

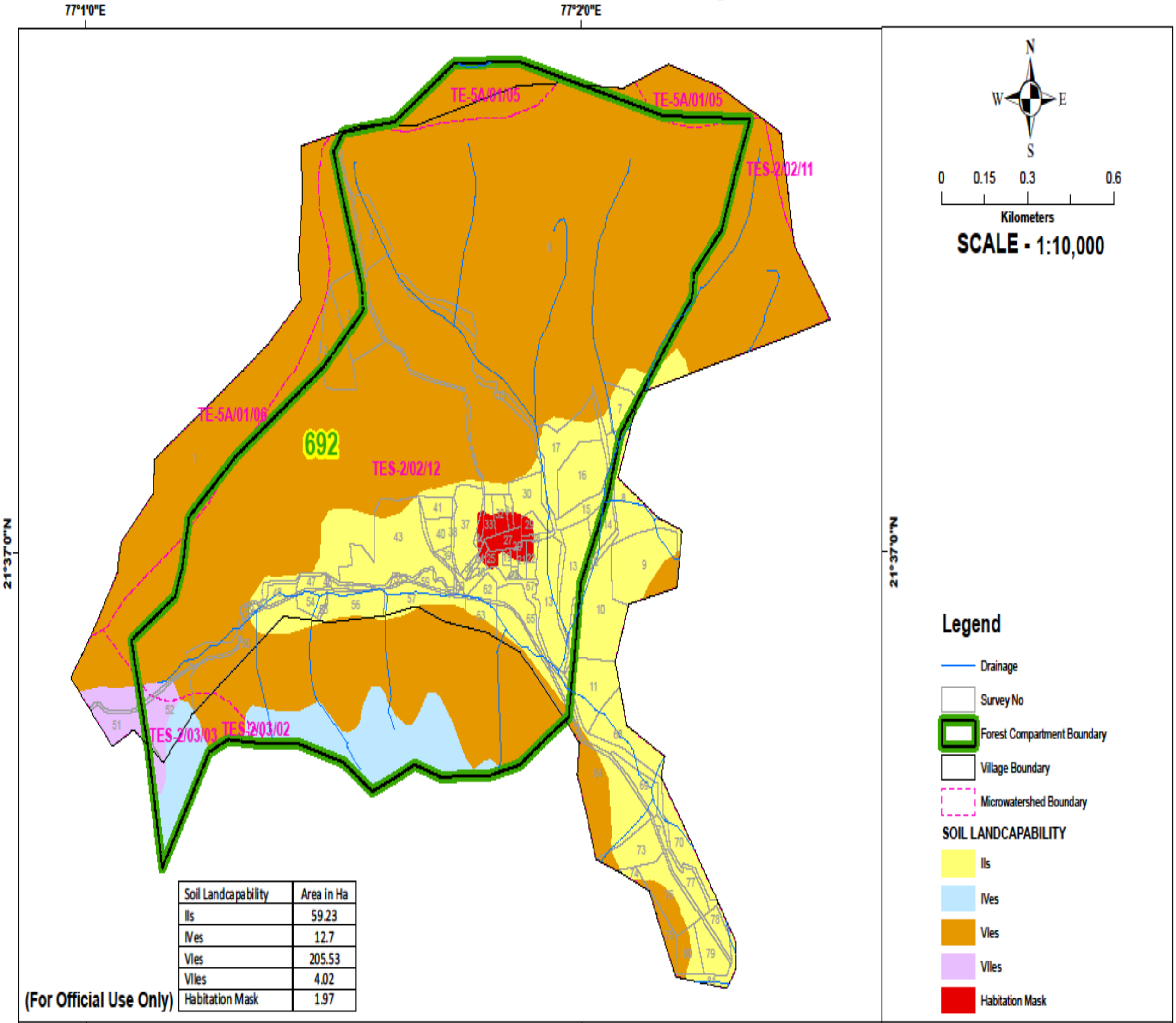

Soil Landcapability	Area in Ha
IIs	59.23
IVes	12.7
VIes	205.53
VIIes	4.02
Habitation Mask	1.97

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from
SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

MRSAC
Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

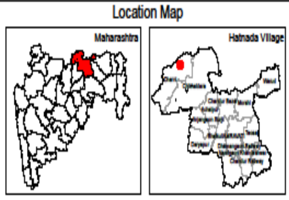

(Paper Size - A3)

ACTIONPLAN MAP

Village - Hatnada, Taluka - Dharni, District - Amravati

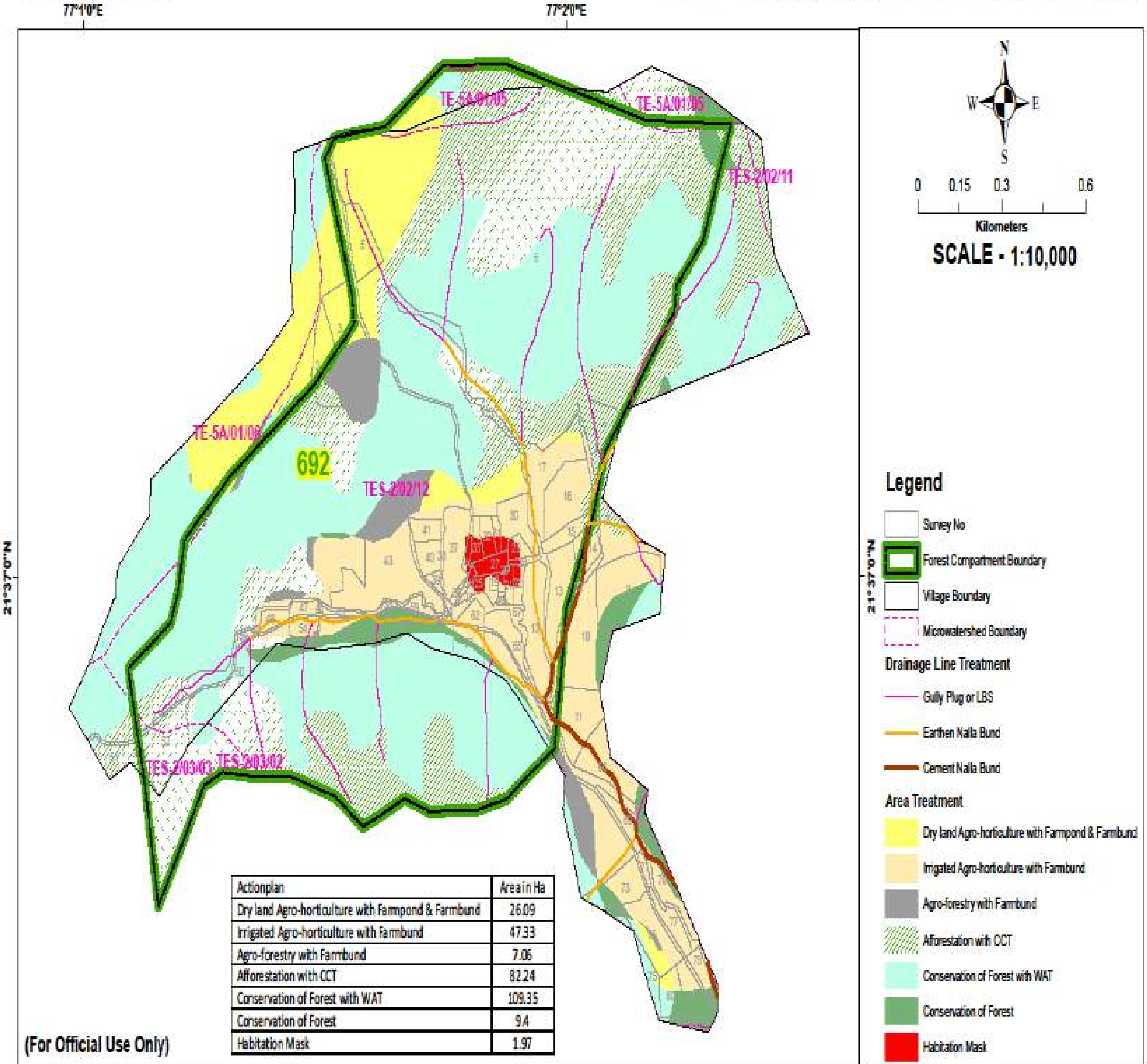

Actionplan	Area in Ha
Dry land Agro-horticulture with Farmpond & Farmbund	26.09
Irrigated Agro-horticulture with Farmbund	47.33
Agro-forestry with Farmbund	7.06
Afforestation with CCT	82.24
Conservation of Forest with WAT	109.35
Conservation of Forest	9.4
Habitation Mask	1.97

(For Official Use Only)

77°1'0"E 77°2'0"E

DATA SOURCES::

Village Map:Directorate of Land Records,
Contour:Contours are derived from SRTM 90 m DEM data.
Road:PWD & MRSAC
Drainage:Updated From H.R.Satellite Data,
Watershed - AISLUS & GSDA,
WRDP & LRDP: MRSAC, Maharashtra.

PREPARED FOR::

KHOJ, Yashwant Bhavan,
At. Po. Gaurkheda,
Tal.-Achalpur, Dist.-Amravati,
Maharashtra

PREPARED BY::

Maharashtra Remote Sensing Application Centre,
An Autonomous Body of Planning Department, GoM,
South Ambazari Road, VNIT Campus,
Nagpur - 440010, Maharashtra.

Location Map

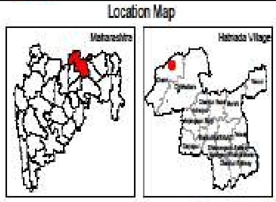

(Paper Size - A3)

जल, जंगल, भू-संरचना की स्थिती : गांव के क्षेत्र देखकर तथा नक्शे के आधार से नजर आता है, यहाँ का वन क्षेत्र अधिकांश पहाडी, टेकडीयों का मध्यम-तिव्र उतार वाला है। जहाँ वर्षा ऋतु का पानी ज्यादा बारीश होने पर भी जल प्रवाह, नाले, नदी से बह जाता है।

मिट्टी का स्वरूप : लाल-भूरे, मुरूमाड-मिट्टी का स्वरूप है जो, पथरिला तथा बालूयुक्त है। निचले ढलान भाग में काली मिट्टी का भी क्षेत्र है। जहाँ खेती की जाती है।

मौसम : यहाँ मुख्यतः तीन ऋतु है, उष्ण-कटिबंधिय क्षेत्र होने से यहाँ वर्षा बेहतर होती है, नवम्बर से फरवरी तक शित का मौसम अच्छा ठंडा होता है जो वन-वन्यप्राणी तथा मानव एवं खेती उत्पाद के लिए अनुकूल होता है। मार्च से जून का गरमी का मौसम तेज-धूप का साथ ही पतझड के बाद उजाड से नजर आने वाले जंगल में पानी के अभाव का होता है। इस मौसम में वनों में आग लगने का खतरा होता है तथा क्षेत्र के कुछेक गांव भी आग से जल जाने का इतिहास है। वन-रोपवनों को पानी के अभाव में बचा पाना थोडा कठीनाई पूर्ण है। वन्य -पशु-पक्षी भी पानी की जरूरत से परेशान भटकते है तथा गांव के नजदिक भी आ जाते है।

वन : यहाँ सागवान का रोपवन पिछले 50 वर्ष में दो-तीन चक्र में किया गया तथा सरकारी वन विभाग द्वारा जंगल कटाई-बांस कटाई भी जारी रही। जैसा की गांव की जानकारी तथा वन निरिक्षण से नजर आता है, स्थानिक मिश्र प्रजाती के पेड-वृक्ष-पौधे आज भी यहाँ काफी प्रमाण में मौजूद है। जिन्हे बढाया, जतन किया जा सकता है। इसके लिए पानी के प्रबंधन कार्य की आवश्यकता है। इन वन संपत्ती के आधार पर गौण वनोपज का उत्पाद, प्रक्रिया-उद्योग, विक्रय कर आजीविका सुनिश्चित करने में मदद हो सकेगी।

जल संसाधन : जलाशय, नए तालाब, कोल्हापूरी बांध जैसे कार्य द्वारा जल संचय करने से वनों को बचाना, रोपवाटीका लगाना, कृषी सिंचाई, भूमि का जलस्तर बढाना, तथा मत्स्यपालन कार्य किए जा सकेंगे।

वन संसाधनो का इस्तेमाल वर्तमान जरूरतें

1) जलतन की लिए लकडीयाँ।
2) चराई क्षेत्र की जरूरते।
3) घरगुती वापर के लिऐ लकडीफाटा।
4) खेती औजार के लिऐ लकडी।
5) चारोळी, मोहा फुल, टोळी।(गौण वनोपज)
6) शहद जमा करना/गोंद गोळा करना।
7) मछली पकडना/खेकडे, झिंगा।
8) देवी-देवताओ के स्थान के नोंद करना।
9) नदी, नाले, डोबरा, इन जगह पर पाणलोट क्षेत्र विकास/उपयोगी काम करना।

- गांववासीयों द्वारा सामुहिक वनहक्क क्षेत्रके बाहेर का भाग इस्तेमाल करते है।

1) स्मशान भुमी/दफन भुमी।
2) तेंदु पत्ता गोला करना।
3) मोहा फुल गोला करना।
4) गोंद गोळा करणा/मछली पकडने, खेकडे ई।
5) चराई।
6) जलतन के लिए लकडीयाँ गोळा करना।
7) पुजा स्थान
8) गौरी (कंडे/उपलीयाँ) जमा करना।

- सामुहिक वन हक्क जंगल के सबसे बडे धोका निपटारा कैसे टालेगे?

1) जंगल को आग से बचाना।
2) जंगल को कटाई से बचाना।
3) ग्रामसेवक के माध्यम से बाजु के गाव को ग्रामपंचायत को नोटीस द्वारा चराई/ जंगलतोड/शिकार बंदी इन मुद्दो को रोकने के लिए जानकारी देना।
4) ग्रामसभा की नियमावली बनाना।
5) जंगल के रक्षण/व्यवस्था/देखभाल।
6) खुला क्षेत्र/बंदी क्षेत्र के विषयपर चर्चा करके उस पर निर्णय लेना।

- अन्य गांव के कुछ लोग सामुहिक वनहक्क जंगल के बाहेर के जंगल का इस्तेमाल करते है।

1) घरगुती वापर के लिए बांस कटाई।
2) शिकार के लिये।
3) चोरी छूपके लकडी बेचने वाले।

- सामुहिक वन हक्क जंगल के रक्षण/अपने, आप पनप रहे रोप पौधों का व्यवस्थापन मे आने वाले खतरो को कम कैसे करेगे। अथवा इन पर क्या उपाय कर सकते ?

1) ग्रामसभा मे जंगल के नियंत्रण देखरेख के विषयपर चर्चा करके नियमावली बनाना।
2) आग नियंत्रण/चराई, कटाई बंदी, शिकार बंदी इन के लिए ग्रामसभा मे नियमावली बनाना। और नियम का पालन करना।
3) नियमों के पालन नही करने पर संबंधित विभागो के मार्फत उचित कारवाई करना।
4) ग्रामसभा के हर सदस्य को जंगल की जबाबदारी लेना जरूरी है।
5)मिट्टी और पानी रोकने का काम करना।
6) जानवरो के लिये चारा के प्रबंध करना।
7) C.C.T, वॅट दगडी बांध वनतलाव, इन कामो को प्राथमिकता देना।

- ग्रामसभा स्वयं इच्छा से नये काम, वृक्ष लगाना, पुनरूज्जीवित और रक्षण करने का नया उपक्रम।

1) चारा निर्मिती करना।
2) जंगल को आग से बचाना।
3) अपने आप निकले हुआ झाड,/रोपों का व्यवस्थापन, देखरेख करना।
4) मिश्र प्रजातिके रोप लगाना।
5) शिकार बंदी, कु-हाड बंदी चराई बंदी करना।
6) मिट्टी और पानी रोकने का काम करना।
7) वन संपत्ती, नए रोपवन, बास प्लॅन्टेशन साथ ही, खेती की फसलो का नुकसान करने वाले वन्य प्राणि विशेषकर जंगली सुअर का बन्दोबस्त कर संरक्षण के उपाय करना।

प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्य

i) वन अधिकार कानून के नियम 5 में दर्शायेनुसार कर्तव्यों का निर्वाह करना।

ii) मृदा एवं जलसंधारण क्षेत्र विकास कार्य पद्धती के अनुसार सामुहिक वन अधिकार के निर्दिष्ट वन क्षेत्र मे मिट्टी एवं जल धारण क्षमता वृद्धी सुनिश्चित करना।

iii) जहाँ पर भी संभव हो, वनीकरण तथा वनों के पुनःनिर्माण कार्य शुरू करना जो वनों की गुणवत्ता तथा आजिवीका को प्रभावित करने वाली उन्नती की दिशा मे हो।

iv) क्षेत्र में नैसर्गिक पुर्ननिर्माण के कार्य चलाना, जो अच्छी नैसर्गिक बढत दिखा सके।

v) लघु वनोपजों के, परिणामकारक संरक्षण, पुनरूनिर्माण एवं प्रबंधन तथा निरंतर उत्पाद मिलने वाले कार्यो को सुनिश्चित करें।

vi) लोगों के चिरंतन रूप से आजिवीका के साधन इस्तेमाल करते हुए वन संसाधनों का दिर्घ कालीन रूप से संवर्धन कार्य भी बढते रहे यह सुनिश्चित करना।

vii) यह भी सुनिश्चित करना की गांव में रहने वालों को आजिवीका के स्त्रोतो का पूरे साल भर उपयुक्त उपलब्धता रहे।

viii) वनो को आग, अतिचराई, तथा चोरीसे सुरक्षित रखना।

ix) लोग-वन-वन्यजीव के सह अस्तित्व के तत्वों को पुनःस्थापित करना।

x) सामुदाय वन प्रबंधन के नियम एवं तत्वों को संस्थान में ढालना।

<u>वन - नियोजन की दिशा</u>

<u>वन संरक्षण</u> : सामूहिक वन अधिकार प्राप्त वन क्षेत्र के संरक्षण की दृष्टी से ग्रामसभा अपने वनों को आग से बचाना, अवैध रूप से चराई एवं वनसंपत्ती की चोरी ना हो इस बाबद उपाययोजना करेगी। इसी तरह बाहरी तस्कर-शिकारीयों से वन-वन्यजीव की सुरक्षा के उपाय गांव समुदाय के नियोजन से करेगी। जहाँ आवश्यकता हो, सरकारी विभाग, वन, वन्यजीव, पुलीस की मदद ली जाएगी।

<u>मुख्य वनोपज का प्रबंधन</u> : मेलघाट क्षेत्र का मुख्य वनोपज सागवान है। ग्राम समुदाय को अपने खेती कार्य के औजार-साधन बनाना, निवास घर, मवेशी के लिए कोठा, घर दुरूस्ती आदि कार्य के लिए मुख्य रूप से सागवान की जरूरत होती है। इसके विकल्प के रूप में लोगों ने स्वयं अथवा सरकारी योजना से लोहे की साधन-सामुग्री का उपयोग शुरू किया है, साथ ही आगे वनों की वृद्धी-संरक्षण की दृष्टी से इन्ही तथा अन्य विकल्प साधन उपयोग में लाने के लिए प्रवृत्त किया जाएगा। तथा मुख्य वनोपज का उत्पाद, इस्तेमाल, संकलन तथा व्यवस्थापन/प्रबंधन की व्यवस्था वैज्ञानिक पर्यावरणपूरक दृष्टी से संबंधित विशेषज्ञ एवं सरकार, वन-विभाग के साथ मिलकर ग्रामसभा समय -समय पर सुनिश्चित करेगी।

<u>जैव-विविधता</u> : गांव की ग्रामसभा अपने वन अधिकार क्षेत्र के सभी प्रकार के वन, वन्यजीव, साधन-संपत्ती, प्रजातीयों का जैव विविधता अध्ययन तथा दस्तावेजीकरण, विशेषज्ञ टीम के साथ करेगी। इस जैव विविधता रजीस्टर के अनुसार भविष्य के साधन-संपत्ती जतन एवं संवर्धन की दिशा-कार्य तय किए जाएँगे।

<u>इंधन</u> : ग्राम समुदाय की इंधन की जरूरत जंगल से लकडीयाँ इकट्ठा कर मुख्य रूप से की जाती है। कुछ प्रमाण में लोग रसोई गॅस (L.P.G) का इस्तेमाल कर रहे है। आगे सरकारी योजना से इस विकल्प को बढावा दे कर वनों का भार कम किया जाएगा। वनों में सूखे-टूटे वृक्ष पेडों की टहनीयाँ, खराब-टेढे-मेढे एवं बीमार

वृक्षों को वनों की सफाई में निकाला जाएगा तथा ग्राम समुदाय को इसका वितरण ग्रामसभा के ठराव नियोजन अनुसार किया जाएगा।

<u>चारे का प्रबंधन</u> : गांव समुदाय के पालतु पशुओं की जरूरत तथा दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम के अनुरूप वन क्षेत्र में चारा वृद्धी, नए उन्नत किस्म की घास का प्लॅन्टेशन किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त वनक्षेत्र के भाग का चयन कर वहाँ चराई बंदी कर उत्पाद लिए घास-चारे का वितरण वाटप ग्रामसभा निश्चित करेगी। साथ ही चराई हेतू खुला क्षेत्र भी निर्धारित कर नियोजित चराई करना तय किया जाएगा।

<u>बांस का उत्पादन</u> : ग्रामसभा अपने नियोजीत क्षेत्र में बांस के रोपवन लगाने-बढाने तथा उसके उपचार कार्य योग्य मार्गदर्शन से करेगी तथा समय अनुसार उसका संकलन, लोगों की जरूरत अनुसार वितरण, विक्रय का कार्यक्रम बनाएगी तथा संचालित करेगी।

<u>लघु-वनोपज</u> : गांव के सामुहिक वन अधिकार क्षेत्र के लघु-वनोपज का प्रबंधन, जिसमें नए मिश्र-प्रजाती के रोपवन लगाना, उनका संरक्षण एवं संवर्धन, उत्पाद संकलन तथा उसका इस्तेमाल एवं विक्रय ग्राम समुदाय की जरूरतों के अनुसार ग्रामसभा चर्चा कर निश्चित करेगी तथा नियोजन अनुसार प्रबंधन किया जाएगा।

संसाधन - आरेखन की पद्धती

प्रबंधन नियोजन का साहस पूर्ण कदम उठाने से पूर्व क्षेत्र के वन संसाधनो की वर्तमान स्थिती उपलब्धता, अस्तित्व तथा अंतर (फर्क) एवं जरूरतों की समझ बनाना जरूरी था। वन संसाधनों की गिनती - यादी बनाने की प्रक्रीया चलानें हेतु निम्न तरीके चलाये गये :

* समूहिक वन - अधिकार के क्षेत्र का सीमांकन स्थानिय वन - अधिकारीयों की सहायता से सुनिश्चित किया गया।
* ग्राफ पेपर पर क्षेत्र का मानचित्र प्रति 1 हेक्टेअर के विभाजीत स्वरूप में दर्शाये जाने के रूप में रेखांकित किया।
* 2 % नमुने की पहचान का सुनिश्चितीकरण सुनियोजीत नमुनाकरण एवं चतुर्थांस क्षेत्र के आधार पर तय किया जिससे पूरा क्षेत्र गणन प्रक्रीया में शामिल किया जा सकें। यह चतुर्थांस क्षेत्र के जमीन पर रेखांकित कर गिनती की प्रक्रिया पूरी की गई।

* जी.पी.एस. द्वारा निर्धारित चतुर्थांश क्षेत्र की सीमाओं को तात्कालिक रूप से पत्थर आदि रखकर चिन्हीत किया जिससे चारों चतुर्थांस क्षेत्र का सिमांकन आसान हो। प्रत्येक पेड को रंगो द्वारा चिन्हीत किया गया ताकी गणना में उसे दोबारा न गिना जाए। इस प्रक्रीया में ग्राम सभा द्वारा तय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

प्रबंधन नियोजन प्रक्रीया

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्रों का प्रबंधन नियोजन वन अधिकार कानून के तहत ग्रामसभाओं को करना है। देश में अधिकार प्राप्त करने के बाद कुछ ग्रामसभायें इस जिम्मेदारी को निभाने में अग्रसर हो रही है। बहुत लंबे समयतक वनों के प्रबंधन में समुदायों की कोई भूमिका नहीं रही। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार कानून (पेसा) तो था परंतु राज्य में नियमोके नही होने से जो अधिकारों के लिये जुट पाये, उन्ही तक यह सीमित रह गयें। सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता के पश्चात वन प्रबंधन में समूहों की सहभागिता का परंपरागत इतिहास पुनर्जिवित करने का प्रयत्न अब अधिक सुलझे और सुस्पष्ट नियम एवं तत्व होने के कारण मुमकिन हो रहा है। निम्न दर्शायें पद्धतीसे प्रबंधन नियोजन की यह प्रक्रिया आगे बढेंगी ग्रामसभा के साथ परिचर्चा तथा अनुबंध के आधार पर नियोजन तयार करने का कार्य स्थानिय संघटनाओं के सहायता से किया जाएगा।

- गांव से 4 (1)(ई) के तहत बनी समिती सदस्यों का क्षमता वर्धन किया जाएगा।
- सामूहिक वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त अन्य इलाको में उनके प्रयत्नों एवं सीख को समझाने के लिये अभ्यास/मुलाकातों का नियोजन।
- गांव से संबंधित नक्शो एवं दस्तावेजो का संकलन।
- सीमाओं का चिन्हीत सुनिश्चितीकरण।
- 0 - 2 % नमुना क्षेत्र के साधनों का अनुसूचिकरण।
- SMCकार्य आयोजना हेतू सर्वेक्षण एवं नियोजन तयार करना।
- स्थानिय जैव विविधता सूचिबद्ध करने की प्रक्रिया आगे बढाना।
- लिखीत-प्रबंधन नियोजन प्रस्ताव दस्तावेज तयार करना।
- ग्रामसभा के साथ उनकी प्रतिक्रीया सुझाव जानने हेतू जानकारी चर्चा साझा करना।
- मुख्य वन संरक्षक, परियोजना अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिलाधिकारी के साथ-सभी शासकियविभाग की योजनाओं का एककेंद्री कार्यक्रम बनने हेतू चर्चा कर अंतिम नियोजन करना।

<u>भविष्य का प्रबंधन एवं सुझाव (वन, कृषी, समुदाय)</u>

ग्रामसभा आठनाडा

आज दि. 03/08/2017 रोज गुरूवार शाम 06:00 बजे श्री. सुखराम मौजी बेठेकर इन की अध्यक्षता में आठनाडा गाव की ग्राम सभा ली गई। सभा में सभी गाववासीयों द्वारा चर्चा-विचार कर भविष्य में किए जाने वाले वन-खेती एवं गाव की जरूरत के अनुसार संरक्षण,संवर्धन, पुनरूज्जीवन, सुधारणा, विकास बाबद नियोजन कृतिकार्यक्रम निचे अनुसार सुझाए गये।

- **जंगल, वन सम्पती, जल स्रोत के कार्य :**

1) <u>पत्थर के बांध/जाली पत्थर के बाँध</u> : गांव के आस-पास, वन क्षेत्र में प्रवाहित जल प्रवाहों पर योग्य स्थान चुन कर पत्थर बाँध तथा पत्थर जाली के बाँध बनाना।

2) <u>बनतालाब/खेत तालाब</u> : वर्षा का पानी कुछ अधिक समय रूक सके तथा भू-गर्भ जल का स्तर बढाने के लिए, उपयुक्त स्थानों पर वन क्षेत्र में तथा कास्तकारों के खेतों में वन तालाब तथा खेत तालाब बनाए जाए।

3) <u>जल संवर्धन के कार्य</u> : जमीन का भू-जल स्तर बढाना, रोपवनों को बढने हेतू पोषक, आर्द्रता जमीन में अधिक समय कायम रहने की दृष्टी से जमीन के उतार भागों में नियोजन कर सी.सी.टी/डी.सी.टी/वॅट आदी के कार्य करना तथा उसके किनारों पर केतकी (घायपात) का रोपन करना।

4) <u>वन क्षेत्र में वन्य जीव के लिए पानी की सुविधा</u> : जंगली पशु-पक्षी प्राणियों को पानी की उपलब्धता हो इसलिए पाणवठे (वन तालाब) बनाना।

5) <u>सिमेंट बाँध / मिट्टी के बाँध</u> : पानी की सभी प्रकार की जरूरते पूरी हो सके तथा मछली पालन आदि कार्य कर सकने की दृष्टीसे जल स्रोत, नदी-नालों पर उपयुक्त स्थानों का चयन कर मिट्टी के बाँध एवं, सिमेन्ट के बाँध बनाना। चुने गए स्थान :1) चाचरी पाठा- (2सिमेंट बांध), 2)खिळीगाडा- (2 सिमेंट बांध),3) अहिरदेव- (1सिमेंट बेग)

6) <u>बोअर वेल/सोलर पम्प</u> : नियोजन के अनुसार नए लगाए गये पौधे-रोप के जतन बचाव हेतू पानी-सिंचाई तथा रोपवाटीका विकसित करने हेतू जरूरी पानी की उपलब्धता हेतू वनक्षेत्र में आवश्यक स्थान पर बोअरवेल तथा सौर उर्जा संचलित पम्प लगाना।

7) <u>रायमुनिया (Lantana) उच्चाटन के कार्य</u> : वनक्षेत्र में अनेक भागों में फैले रायमुनिया झुडुप उच्चाटन कर साफ करना जिससे नए रोपवन लगाए जा सके।

8) <u>चारा विकास</u> : गाव के पशुपालन विषयक बढती जरूरतों के मुताबिक चराई क्षेत्र तथा घास उत्पादन क्षेत्र निर्धारित करना तथा विकसित करना।

9) <u>पुनर्जिवित वृक्ष प्रजातियों का प्रबंधन करना</u>: वनक्षेत्र में उपज रहे वृक्ष प्रजातियों का बेहतर पुनर्जिवन हो कर वन संसाधन विकसीत होने के लिए उनकी देखभाल-जतन, संरक्षण-संवर्धन कार्य का नियोजन एवं प्रबंधन करना।

10) <u>मिश्र रोपवन लगाना</u> : वनों मे पहले से वृक्ष प्रजातियॉं थी जो अब कम हो गई है, उनका मिश्र रूप से रोपवन लगाना जिनमें, महुआ, आवला, हिरडा, बेहडा, टेमरू, चारोली, बेल, सालई प्रमुखता से है।

11) <u>बांस लगाना</u> : अनेक प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए, उपयुक्त स्थानों पर हे. क्षेत्र में बांस का रोपवन लगाना।

12) <u>रोप वाटीका</u> :

13) <u>रास्ते-मार्ग बनाना</u> : वन वनसंपत्ती विकास के कार्य तथा जल स्रोतों का उपयुक्त इस्तेमाल एव प्रबंधन करने हेतू कच्चे मार्ग, पहूँच मार्ग तयार करना, जैसे-चाचरी पाठा, खिडीगाडा अहिरदेव आदि जगहों तक गाव से मार्ग बनें।

14) <u>मुसली प्लाट लगाना</u> : उत्पादन बढोतरी हेतू नियोजन कर मुसली प्लॅन्टेशन प्लॉट विकसित करना।

- <u>कृषि-खेती विकास के कार्य</u> :

1) आठनाडा गाव में कुल 64 परिवार है, जो सभी कोरकू आदिवासी है इनमें 12 किसान पट्टेधारक है जिनकी वहीत खेत जमीन कुल 65 एकड है।

2) वन जमीन जोत रहे व्यक्तिगत खेत जमीन के दावे दाखल 14 कास्तकार है जिन्हे प्रमाणपत्र मिला है किंतू महसूल नोंद के नमुना 7/12 में नाम नही आया है। इनकी कुल जोत जमीन 10 हेक्टर क्षेत्र है।

3) इन सभी किसानों की जमीन साधारण स्वरूप की, उतार-चढाव जैसे भागो पर मुरूमाड मिट्टी की है, जहाँ बारीश पर निर्भर एक फसल लेना ही संभव होता है। सिंचन नाम मात्र के बराबर है। आजिविका की बढती जरूरतों के अनुसार यहाँ जहाँपर भी संभव हो सिंचाई सुविधा तथा मिट्टी-जल संरक्षण के काम करना आवश्यक है। इस हेतू ग्रामसभा ने निम्न कार्य किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

1) सिंचाई के लिए कुआ।
2) ऑईल इंजन।
3) इलेक्ट्रीक मोटार पम्प।
4) कुओं पर सौर उर्जा पम्प (Solar pump)
5) स्प्रींकलर सिस्टीम/एच.डी.पी. पाईप।
6) मिट्टी का धुरा बाँध/पत्थरो का बाँध/खेत तालाब (शेततळे) नाला बाँध।
7) सी.सी.टी./वॅट (WAT) सिमेन्ट बंधारा।
8) पूर नियंत्रण दिवार : जहाँ जरूरी हो नाले-नदी के किनारे भू-स्तर कटाव, खेती का नुकसान रोकने हेतू।
9) नालों का गहराई करण।
10) पहले से बनाए सिमेंन्ट बंधारो से गाल निकालना।
11) पालतू जानवर, गाय, बैल तथा बकरीयों के लिए कोठा बनाना।

- **<u>गांव के सार्वजनिक विकास के प्रस्तावित कार्य</u> :**
  1) पाटिया से आठनाडा गाव पोहच रस्ते का डांबरी करण।
  2) गांव में खेतों में, थ्री फेस इलेक्ट्रीक लाईन की सुविधा करना।
  3) गांव में पालतू पशुओं के पीने हेतू पानी की टाकी (धर्माळे) बांधना।
  4) पिने के पानी की सुविधा के लिए प्रत्येक घर में नल कनेक्शन।
  5) रसोई व्यवस्था बेहतर करना, साथ ही जंगल, लकडी की निर्भरता कम करने हेतू, (एल.पी.जी.) गॅस कनेक्शन तथा गोबर गॅस की सुविधा करना।
  6) गांव-ग्रामसभा के लिए समाज मंदीर, सभागृह।
  7) गांव में जानकारी के प्रचार-प्रसार विद्यार्थीयों की सुविधा के लिए वाचनालय

स्थापित करना।

8) प्रत्येक घर में शौचालय तथा स्नानगृह।

9) गांव तालाब : गाव की पानी की जरूरत पूर्ति तथा मत्स्यपालन, जानवरों को पीने का पानी आदि के लिए गाव तालाब का निर्माण।

ग्रामसभा आठनाडा

नियम तथा दस्तावेजी नोंद

'ग्रामसभा' यह गांव मे निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है जिसमे गांव के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग, सदस्य के रूप में समाविष्ट है।

सभी निर्णय जो नितिगत एवं कार्य क्रियान्वयन से संबंधित है। ग्रामसभा मे लिए जाएगे। ग्रामसभा द्वारा लिए गये निर्णयो के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी, वन अधिकार कानून के भाग-5 के तहत ग्रामसभा द्वारा गठीत विभाग 4 (1)(ई) की समिती पर रहेगी या अन्य समितियाँ जिन्हे ग्राम सभा चुनेंगी, वे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।

- ग्रामसभा का संयुक्त रूप से बँक खाता रहेगा जिसे 4 (1)(ई) की समिती के कार्य प्रबंध करने वाले सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा। बँक खाता संचलित करने वाले स्वाक्षरीकर्ता में कम -से कम एक शिक्षित महीला सदस्य रहेगी।
- आवश्यकता होने पर सरकारी निधि के लिये ग्रामसभा का एक सरकारी खाता भी होगा जिसे 4 (1)(ई) के सदस्य तथा सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य द्वारा संचालित किया जायेगा।
- ग्रामसभा प्रति माह कम से कम एक बैठक संपन्न करेगी। इसके अलावा वे जब भी जरूरी समझे अधिक बार सभा करेगी। किसी भी आपात्कालीन परिस्थीती में ग्रामसभा 24 घंटे पूर्व सूचना देकर बुलाई जाएगी, जो नोटीस तथा दवंडी दोनो स्वरूप में सूचित करेगी।
- ग्रामसभा की बैठक उपर दर्शायी समिती के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित की जाएगी अथवा ग्रामसभा के कम से कम 25 सदस्यों की मांग होने पर ग्रामसभा बुलाई जाएगी।
- ग्रामसभा का अपना कार्यालय होगा, जिसमें सामुहिक वन अधिकार से संबंधित रजिस्टर, रेकॉर्ड, दस्तावेज नियमित जानकारी को पूर्ण रखते हुए बँक की किताबे, पासबुक तथा अन्य इससे संबंधित दस्तावेज रखे जाएगे।
- ऑडिट (लेखा परिक्षण) के वित्तीय पध्दतियों के अनुसार ग्रामसभा प्रतिवर्ष अपने हिसाब का ऑडिट कराएगी।

विवादों का निराकरण

सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को वन विभाग के सर्वेक्षणकर्ता तथा ग्रामसभा और वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर निश्चित किया गया।

सभी अंतर्गत विवाद ग्रामसभा मे सुलझायें जाएंगे।

गांव से जुडे सभी बाहरी विवाद ग्रामसभा में सुलझाये जाएंगे। यदि दो गांव की सीमाओं से संबंधित कोई विवाद उपस्थित होता है तो इसे संबंधीत ग्रामसभाओं की संयुक्त बैठक मे सुलझाया जाएगा।

चोरी अथवा हिंसा से संबंधित सभी निर्णय ग्रामसभा द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार एक समान रूप से ग्रामसभा करेंगी। ग्रामसभा का निर्णय बंधनकारक तथा अंतिम रहेगा।

ऐसे मामले में जब वन या वन की सीमा सें संबंधित गांव से बाहरी कोई मामला जो ग्रामसभा मे नही सुलझ रहा हो, हल निकालने के लिए उपवन संरक्षक (DCF) की ओर भेजा जाएगा। उपवन संरक्षक ग्रामसभा के साथ विचार विमर्श कर इसपर निर्णय लेंगे।

MICRO - PLANNING (ABSTRACT)

Name of Village :- Hatnada, Taluka :- Dharani, District :- Amravati

S.N.	Micro Net Planning	Area	Area Treatment & Planning							
		ha.	Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Hatnada**		Graded Bonding (G.B.)	33.50 Ha	5527.50	1.05	**5803.88**	98.28	Cum	570404.84
	(Private land)		Waste Weir (W.V.)	101			**101**	306.53	Nos	30959.53
			Field Drain (F.D.)		1005.00	0.54	**542.70**	59.95	Cum	60249.75
			Farm Pond's	2			**2.00**	100000.00	Nos	200000.00
			Plantion (Fruits)	10.00			**10.00**	100000.00	Ha	1000000.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	7.75	1550.00	1.00	**7.75**	27290.00	Ha	211497.50
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	45	427.5	0.75	**320.63**	235.00	Cum	75346.88
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	20	190.00	1.50	**285.00**	235.00	Cum	66975.00
			Contineous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)	3.00	2400.00	0.36	**864.00**	159.00	Cum	137376.00
	Total	**0.00**								**2352809.49**
2	**Hatnada**	154.910	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	16.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	640000.00
	(Forest land)		Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	2	14.00		**2.00**	40000/Rmt	Nos	1120000.00
	Comp.692		Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	18.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	720000.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	40	8000.00	1.00	**40.00**	27290/ Ha.	Hector	1091600.00
			WAT'S (400 Rmt / Hector)	50	20000.00	1.00	**50.00**	53661/ Ha.	Hector	2683050.00
			DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	40	25360.00	0.27	**40.00**	22923/ Ha.	Hector	916920.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	35	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	25	237.50	1.50	**25.00**	235/Cum	Nos	83718.75
			Contineous Stone Bonding	3	2400.00	0.36	**3.00**	159/Cum	Hector	137376.00

			(800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)							
			Van-Ponds (20x20x3)	6			**6.00**	132903/ No	Nos	797418.00
			Gabion Structure **(G.S.)**	45	427.50	1.45	**45.00**	962/Cum	Nos	596319.75
			Plantation	10.00			**10.00**	190000.00	Hector	1900000.00
	Total	**154.91**								**10745005.63**
	Total	**154.91**								**13097815.12**
			Contengencies 3%							392934.45
			Labour Facilities 4.7%							615597.31
			Total							**14106346.88**
									Say RS	**14106400.00**

In Words - Rs One Crore Fourty One Lacs Six Thousand Four Hundred Only.

MICRO - PLANNING (YEARWISE)

Name of Village :- Hatnada, Taluka :- Dharani, District :- Amravati

S.N.	Micro Net Planning	Area	Area Treatment & Planning							
		ha.	Proposed Work	No.	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Hatnada**		Graded Bonding (G.B.)	33.50 Ha	5527.50	1.05	**5803.88**	98.28	Cum	570404.84
	(Private land)		Waste Weir (W.V.)	101			**101**	306.53	Nos	30959.53
			Field Drain (F.D.)		1005.00	0.54	**542.70**	59.95	Cum	60249.75
				Total	**6532.50**					**661614.12**
Area Treatment & Planning year- 2										
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	7.75	1550.00	1.00	**7.75**	27290.00	Ha	211497.50
			Plantion	10.00			**10.00**	100000.00	Ha	1000000.00
			Contineous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)	3.00	2400.00	0.36	**864.00**	159.00	Cum	137376.00
				Total	**3950.00**					**1348873.50**
Area Treatment & Planning year- 3										
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	45	427.50	0.75	**320.63**	235	Cum	75346.88
			Loose Boulder Structure (1.0 Ht)	20	190.00	1.50	**285.00**	235	Cum	66975.00
			Farmponds (20x20x3mtr)	2			**2.00**	100000.00	Nos	200000.00
				Total	**617.50**					**342321.88**
	Total	**0.000**	**(Ist+Iind+IIIrd year)**		**11100.00**					**2352809.49**
Area Treatment & Planning year- 1										
2	**Hatnada**	**154.91**	DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	20	12680.00	0.27	**20.00**	22923/ Ha.	Hector	458460.00
	(Forest land)		WAT'S (200 Rmt / Hector)	20	4000.00	1.00	**20.00**	27290/ Ha.	Hector	545800.00
			Plantation	10.00			**10.00**	190000	Hector	1900000.00
				Total	**16680.00**					**2904260.00**
Area Treatment & Planning year- 2										
			DCT (634 Rmt / Hector) 0.45 depth	20	12680.00	0.27	**20.00**	22923/ Ha.	Hector	458460.00
			Contineous Stone Bonding (800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)	3	2400.00	0.36	**3.00**	159/Cum	Hector	137376.00
			WAT'S (200 Rmt / Hector)	20	4000.00	1.00	**20.00**	27290/ Ha.	Hector	545800.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	16.00		**1.00**	40000/ Rmt	Nos	640000.00
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	2	14.00		**2.00**	40000/ Rmt	Nos	1120000.00
				Total	**19110.00**					**2901636.00**

Area Treatment & Planning year- 3										
			WAT'S (400 Rmt / Hector)	50	20000.00	1.00	**50.00**	53661/ Ha.	Hector	2683050.00
			Loose Boulder Structure (0.75 Ht.)	35	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
			Loose Boulder Structure (1.00 Ht.)	25	237.50	1.50	**25.00**	235/Cum	Nos	83718.75
			Van-Ponds (20x20x3)	6			**6.00**	132903/ No	Nos	797418.00
			Gabion Structure **(G.S.)**	45	427.50	1.45	**42.00**	962/Cum	Nos	596319.75
			Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	1	18.00		**1.00**	40000/ Rmt	Nos	720000.00
				Total	**20997.50**					**4939109.6**
	Total	**154.91**	**Total (Forest Land)**		**56787.50**					**10745005.6**
	Total	**154.91**	**Total (Private+Forest))**		**67887.50**					**13097815.1**
Contengencies 3%										**392934.45**
Labour Facilities 4.7%										**615597.31**
									Total	**14106346.9**
									Say Rs	**14106400.0**

MICRO - PLANNING

Information of proposed work on the forest land

Name of Village :- Hatnada, Taluka :- Dharani, District :- Amravati

SN	**Micro Net Planning**	**Details of Area**	**Classification of Soil & Land**						**Area Treatment & Planning**						
	Comp. No.	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses & Capability	Proposed Work	Length (Mtr.)	Section (Sqm.)	Quantity	Rate Rs)	Unit	Amount
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	**692**	154.91	SCL	D1	F	S3	E3	VIes	Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	16.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	640000.00
									Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	14.00		**2.00**	40000/Rmt	Nos	1120000.00
									Concrete bandhara (1.50 mtr.Ht.)	18.00		**1.00**	40000/Rmt	Nos	720000.00
									WAT'S (200 Rmt / Hector)	8000.00	1.00	**40.00**	27290/Ha	Hector	1091600.00
									WAT'S (400 Rmt / Hector)	20000.00	1.00	**50.00**	53661/Ha	Hector	2683050.00
									DCT (634 Rmt / Hector)	25360.00	0.27	**40.00**	22923/Ha	Hector	916920.00
									Loose Boulder Structure (0.75 Ht)	332.50	0.75	**35.00**	235/Cum	Nos	58603.13
									Loose Boulder Structure (1.00 Ht)	237.50	1.50	**25.00**	235/Cum	Nos	83718.75
									Contineous Stone Bonding	2400.00	0.36	**3.00**	159/Cum	Hector	137376.00
									(800 mtr/Ha-Slope 11 to14%)						
									Van-Ponds (20x20x3)			**6.00**	132903/No	Nos	797418.00
									Gabion Structure **(G.S.)**	427.50	1.45	**45.00**	962/Cum	Nos	596319.75
									Plantation			**10.00**	190000	Hector	1900000.00
													TOTAL		**10745005.6**

MICRO - PLANNING

Name of Village :- Hatnada, Taluka :- Dharani, District :- Amravati

S.No	Micro Net Planning	Details of Area		Classification of Soil & Land						Area Treatment & Planning			
	Beneficiary Name	Gat. No	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses & Capability	Proposed Work	Length	Quantity	Amount
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1		10		CL	D	2	S4	E	IIes	Farm Pond's	20 x 20 x 3 m.	1	100000.00
2		73		CL	D	2	S4	E	IIes	Farm Pond's	20 x 20 x 3 m.	1	100000.00
	Total											**2**	**200000.00**
1		8		CL	D	2	S4	E	IIes	WAT's	200 Rmt/Ha.	0.75	20467.50
2		9		CL	D	2	S4	E	IIes	WAT's	200 Rmt/Ha.	2.00	54580.00
3		68		CL	D	3	S4	E	IIes	WAT's	200 Rmt/Ha.	2.50	68225.00
4		69		CL	D	2	S4	E	IIes	WAT's	200 Rmt/Ha.	1.50	40935.00
5		79		CL	D	3	S4	E	IIes	WAT's	200 Rmt/Ha.	1.00	27290.00
	Total											**7.75**	**211497.5**

MICRO - PLANNING															
Name of Village :- Hatnada, Taluka :- Dharani, District :- Amravati															
S. N	**Micro Net Planning**	**Details of Area**		**Classification of Soil & Land**						**Area Treatment & Planning**					
	Beneficiary Name	Gat. No	Ha.	Texture	Depth	Class	Slope	Erosion	Land Uses Capability	Proposed Work	Length	Section	Quantity	Rate	Amount
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
		8	0.65	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	107.25	1.05	112.61	98.28	11067.56
										Waste Weir (W.V.)	2		2	306.53	597.73
										Field Drain (F.D.)	19.50	0.54	10.53	59.95	1169.03
	Total														**12834.32**
		9	1.00	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	165.00	1.05	173.25	98.28	17027.01
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	30.00	0.54	16.20	59.95	1798.50
	Total														**19132.04**
		10	1.20	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	198.00	1.05	207.90	98.28	20432.41
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1103.51
										Field Drain (F.D.)	36.00	0.54	19.44	59.95	2158.20
	Total														**23694.12**
		11	1.30	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	214.50	1.05	225.23	98.28	22135.11
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1195.47
										Field Drain (F.D.)	39.00	0.54	21.06	59.95	2338.05
	Total														**25668.63**
		12	1.40	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	231.00	1.05	242.55	98.28	23837.81
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	42.00	0.54	22.68	59.95	2517.90
	Total														**26662.24**

		14	2.00	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	330.00	1.05	346.50	98.28	34054.02
										Waste Weir (W.V.)	6		6	306.53	1839.18
										Field Drain (F.D.)	60.00	0.54	32.40	59.95	3597.00
	Total														**39490.20**
		64	1.70	SCL	D1	2	S4	E2	VIes	Graded Bonding (G.B.)	280.50	1.05	294.53	98.28	28945.92
										Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1563.30
										Field Drain (F.D.)	51.00	0.54	27.54	59.95	3057.45
	Total														**33566.67**
		68	1.90	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	313.50	1.05	329.18	98.28	32351.32
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	57.00	0.54	30.78	59.95	3417.15
	Total														**36075.00**
		69	0.95	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	156.75	1.05	164.59	98.28	16175.66
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	873.61
										Field Drain (F.D.)	28.50	0.54	15.39	59.95	1708.58
	Total														**18757.85**
		70	0.85	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	140.25	1.05	147.26	98.28	14472.96
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	781.65
										Field Drain (F.D.)	25.50	0.54	13.77	59.95	1528.73
	Total														**16783.34**
		71	1.35	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	222.75	1.05	233.89	98.28	22986.46
										Waste Weir (W.V.)	4		4	306.53	1241.45
										Field Drain (F.D.)	40.50	0.54	21.87	59.95	2427.98
	Total														**26655.89**
		72	1.80	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	297.00	1.05	311.85	98.28	30648.62
										Waste Weir (W.V.)	5		5	306.53	1655.26

										Field Drain (F.D.)	54.00	0.54	29.16	59.95	3237.30
	Total														**35541.18**
		73	2.10	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	346.50	1.05	363.83	98.28	35756.72
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	63.00	0.54	34.02	59.95	3776.85
	Total														**39840.10**
		74	2.90	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	478.50	1.05	502.43	98.28	49378.33
										Waste Weir (W.V.)	9		9	306.53	2666.81
										Field Drain (F.D.)	87.00	0.54	46.98	59.95	5215.65
	Total														**57260.79**
		75	2.80	SCL	D1	2	S4	E2	VIes	Graded Bonding (G.B.)	462.00	1.05	485.10	98.28	47675.63
										Waste Weir (W.V.)	8		8	306.53	2574.85
										Field Drain (F.D.)	84.00	0.54	45.36	59.95	5035.80
	Total														**55286.28**
		76	2.65	SCL	D1	2	S4	E2	VIes	Graded Bonding (G.B.)	437.25	1.05	459.11	98.28	45121.58
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	79.50	0.54	42.93	59.95	4766.03
	Total														**50194.13**
		77	2.00	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	330.00	1.05	346.50	98.28	34054.02
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	60.00	0.54	32.40	59.95	3597.00
	Total														**37957.55**
		78	2.00	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	330.00	1.05	346.50	98.28	34054.02
										Waste Weir (W.V.)	6		6	306.53	1839.18
										Field Drain (F.D.)	60.00	0.54	32.40	59.95	3597.00
	Total														**39490.20**

		79	1.90	C	D	2	S4	E	IIes	Graded Bonding (G.B.)	313.50	1.05	329.18	98.28	32351.32
										Waste Weir (W.V.)	1		1	306.53	306.53
										Field Drain (F.D.)	57.00	0.54	30.78	59.95	3417.15
	Total														**36075.00**
		80	1.05	SCL	D1	2	S4	E2	VIes	Graded Bonding (G.B.)	173.25	1.05	181.91	98.28	17878.36
										Waste Weir (W.V.)	3		3	306.53	965.57
										Field Drain (F.D.)	31.50	0.54	17.01	59.95	1888.43
	Total														**20732.36**
	Total														
			33.50							**Graded Bonding (G.B.)**	5527.50	**1.05**	**5803.88**	**98.28**	**570404.84**
										Waste Weir (W.V.)	101		**101**	**306.53**	**30806.27**
										Field Drain (F.D.)	1005.00	**0.54**	**542.70**	**59.95**	**60249.75**
															661460.85
										Plantation (Fruits)	**10.00**	**Hector**		**127800**	**1278000.00**

परिशिष्ट 2 : स्थानिक तथा शास्त्रीय नाम

LOCAL AND BOTANICAL NAMES OF PLANTS

LOCAL NAME	BOTANICAL NAME (trees)	FAMILY
ACHAR	BUCHANANIA LANZAN	ANACARDIACEAE
AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
ALI/AAL/ BARTONADI	MORINDA TINCTORIA	RUBIACEAE
AMALTAS/BAHAWA	CASSIA FISTULA	CAESALPINIACEAE
AM	MANGIFERA INDICA	ANACARDIACEAE
ANJAN	HARDWICKIA BINATE	CAESALPINIACEAE
AMTA	BAUHINIA MALABARICA	CAESALPINIACEAE
ARAN	CASSINE GLAUCA	CELASTRACEAE
APTA/KACHNAR	BAUHINIA RACEMOSA	CAESALPINIACEAE
AONLA	PHYLLANTHUS EMBLICA	EUPHORBIACEAE
ARJUNA/KAHU	TERMINALIA ARJUNA	COMBRETACEAE
BABUL/BABOOL	ACACIA NILOTIA	MIMOSEAE
BAD/WAD	FICUS BENGALENSIS	MORACEAE
BAKAIN/BAKANEEM	MELIA AZADIRACH	MELIACEAE
BEHEAD	TERMINALIA BELLERICA	COMBRETACEAE
BEL	AEGLE MARMELOS	RUTACEAE
BHIRRA	CHLOROXYLON SWIETENIA	RUTACEAE
BHORAL	HYMENODICTYON EXCESUM	RUBIACEAE
BIBA/BHILAWA	SEMECARPUS ANACARDIUM	ANACARDIACEAE
BIJA	PTEROCARPUS MARSUPIUM	FABACEAE
BISTENDU	DIOSPYROS MONTANA	EBENACEAE
BOR/BER	ZIZYPHUS MAURITIANA	RHAMNACEAE
CHANDAN	SANTALUM ALBUM	SANTALACEAE
CHICHWA	ALBIZZIA ODORATISSIMA	MIMOSEAE
CHINCH,IMLI	TAMARICDUS INDICA	CAESALPIIACEAE
DHAK,PALAS	BUTEA MONOSPERMA	LEGUMNOSAE
DHAMAN	GREWIA TILIFORLIA	TILIACEAE
DHAORA/DAHWADA	ANOGEISSUS LATIFOLIA	CAESALPINIACEAE
DHOBAN/PHANSI	DALBERGIA PANICULAT	FABACEAE
GHOTI/GHOT	ZIZYPHUS GLABERRIMA	RHAMNACEAE
HALDU	ADINA CORDIFOLIA	RUBIACEAE
HIWAR	ACACIA LEUCOPHLOEA	MIMOSEAE
HIRDA/HARRA	TERMINALIA CHEBULA	COMBRETACEAE
JAMBHUL/JAMUN	SYZIGIUM CUMINI	MYRTACEAE
KALAM/MUNDI	MITRAGYNA PARVIFLORA	RUBIACEAE
KARANJ	PONGALIA PINNATA	FABACEAE
KARU(CASSIA)	CASSIA SIAMEA	CAESALPINIACEAE
KHAIR	ACACIA CATECHU	MIMOSEAE
KUDA	HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA	APOCY NACEAE
KUSUM	SCHELEICHERA OLEOSA	SAPINDACEAE
KUTU	STERCUTIA URENS	STERCULIACEAE
LASORA,GONDON	CORDIA MYXA	BORAGINACEAE

LENDIA/LENDA/SCHENA/ASAH	LAGERSTROEMIA PARVIFLORA	LYTHRACEAE
LOKHANDI	LXORA ARBOREA	RUBIACEAE
MEDSING	DOLICHANDRONE FALCATA	BIGNONIACEAE
MOHA/MAHUWA	MADHUCA LONGIFOLIA	SAPOTACEAE
MOKHA	SCHREBERA SWIETENOIDES	ARISTOLOCHIACEAE
MOYEN/MOWAI	LANNEA COROMANDELICA	ANACARDIACEAE
NEEM	AZADIRACHTA INDICA	MELIACEAE
PANJARA	ERYTHRINA SUBEROSA	LEGUMINOSAE
PIPAL	FICUS RELIGIOSA	MORACEAE
ROHAN	SOYMIDA FEBRIFUGA	MELIACAE
SAG/SAGWAN/TEAK	TECTONA GRANDIS	VERBENACEA
SAJA/AIN	TERMINALIA ALATA	COMBRETACEAE
SALAI	BOSWELLIA SERRATE	BURSERACEAE
SATKUDA/WHITE KUDA	HOLARRHENA PUBESCENUS	APOCYNACEAE
SEMAL(BORGU)	BOMBAX CEIBA	BOMBACEAE
SHIWAN/SIWAN	GMELINA ARBOREA	VERBENACEAE
SIRUS(BLACK)	ALBIZZIA LEBBEK	MIMOSEAE
SIRUS(WHITE)	ALBIZZIA PROCERA	MIMOSEAE
SISSOO	DALBERGIA SISSOO	FABACEAE
SITAPHAL	ANNONA SQUAMOSA	ANNONACEAE
TENDU	DIOSPYROS MELANOXYOON	EBENACEAE
TINSA	OUGENIA OOJEINENSIS	FABACEAE
TIWAS	OUGENIA DALBERGIOIDES	LEGUMINOSAE
THUAR	EUPHORBIA NERIIFOLIA	EYPHORBIACEAE
UMBAR	FICUS RACEMOSA	MORACEAE
WARANG/BARANGA	KYDIA CALYCINA	MALVACEAE

B.SHRUBS

BHANDARA	COLEBROOKA OPPOSITIFLIA	LABIATAE
BHARATI	GYMNOSPORIA SPINOSA	CELASTRACEAE
CHILLARI	MIMOSA RUICAULIS	MIMOSEAE
CHILLATI	CAESALPINIA SEPIARIA	CAESALPINIACEAE
DUDHI/KALAKUDA	WRIGHTIA TINCTORIA	APOCYANACEAE
DHAVATI	WOODFORDIA FLORIBUNDA	LYTHRACEAE
KARI KORANDO	CARRISSA SPINARIUM	APOCYANACEAE
KORAT	BARLERIA PRIONITIS	ACANTHACEAE
KUNDA,INDRAJAV	HOLARRIHENA ANTIDYSENETERICA	APOCYANACEAE
MURADSHENG/MARORPHAL	HELICTERES ISORA	STERCULIACEAE
NIRGUDI	VITEX NEGUNDO	VERBENACEAE
SINDHI/CHHINDI	PHOENIX SYLVESTRIS	ARECACEAE(PALMACEAE)
TARWAR	CASSIA AURICULATA	CAESALPINACEAE
WAGHOTI	CAPPARIS HORRIDA	CAPPARIDACEAE

C.HERBS

DIVALI	TEPHROSIA HAMILTONII	FABACEAE
GAJARGAWAT	PARTHEMIUM HYSTEROPHORUS	ASTRACEAE
GOKRU	TRIBULUS TERRESTRIS	ZYGOPHYLLACEAE
HAMATE	STYLOSANTHES HAMATA	CAESALPINIACEAE
PIVLA DHOTRA	ARGEMONE MEXICANA	PAPAVERACEAE
PIVILI TILWAN	CLEOME VISCOSA	CLEOPACEAE
RANTULSI/BANTULSI	HYPTIS SUAVEOLENS	LAMIACEAE
RANTUR	ATYLOSIA SCARABAEOIDES	FABACEAE
SCABRA	STYLOSANTHES SCABRA	CAESALPINIACEAE
TAROTA	CASSIA TORA	CAESALPINIACEAE

D. GRASSES AND BAMBOOS

BANS/BAMBOO	DENDROCALAMUS STRICTUS	POACEAE
BHURBHUSI	ERAGROSTIS TENELLA	POACEAE
DUSWA/HARYALLI/DOOB	CYNODON DACTYLON	POACEAE
DONGRI GAVAT	CHRYSOPOGON MONTANA	POACEAE
GUHAR,MARWEL	ANDROPAGON ANNULATUS	POACEAE
KANS	SACCHARUM SPONNEUM	POACEAE
KHAS	VETIVERIA ZIZANIOIDES	POACEAE
KODMOR	APLUDA VARIA	POACEAE
KUNDA	ISCHOEMUM PILOSUM	POACEAE
KUSAL	HETEROPOGON CONTORTUS	POACEAE
MUSHAN	ISEILEMA LAXUM	POACEAE
PAONIA	SEHIMA SULCATUM	
SABAI OR SUM	ISCHAEMUM ANGUSTIFOLIUM	POACEAE
SHEDA	SEHIMA NERVOSUM	POACEAE
TIKHADI/RUSA/ROSHA	CYMBOPOGON MARTINI	POACEAE

E.CLIMBERS

BHUIKAND/BAICHEND	DIOSCOREA DAEMONA	DIOSCORIACEAE
CHILATI	ACACIA PINNATA	MIMOSEAE
ERUNI	ZIZYPHUS OENOPLIA	RHAMNACEAE
GUNCHI/GUNJ	ABRUS PRECATORIUS	PAPILIONACEAE
KAJKURI	MUCUNA PRURIENS	FABACEAE
MAHULBEL/MAHUL	BAUHINIA VAHLLI	CAESLPINIACEAE
PALASVEL	BUTEA SUPERBA	FABACEAE
PIWARVEL	COMBRETUM OVALIFOLIUM	COMBRETACEAE
SHATOVA/SATAWARI	ASPARAGUS RACEMOSUS	LILLIACEAE
KAWAVEL,NAGBEL	CRYPTOLEPIS BUCHANANI	ASCLEPIADACEAE

COMMON AND ZOOLOGICAL NAMES OF THE ANIMALS AND BIRDS COMMONLY FOUND IN AMRAVATI DIVISION

LIST OF ANIMALS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
PANTHER, BIBTYA	PANTHER PARDUS
STRIPED HYENA, TADAS	HYAENA HYAENA
JANGALI KUTRA, WILD DOG	CUON ALPINUS
JACKAL, KOLH	CANIS AUREUS
INDIAN FOX, LOMAD	VULPES BENGALENSIS
JUNGLE CAT, RAN MANJAR	FELIS CHAUS
BLACK BUCK, KALWIT	ANTILOPE CERVICAPRA
CHEETAL,SPOTTED DEER	AXIS AXIS
BHEKAD, BARKIN DEER	MUNTIACUS URSINUS
NILGAI, BLUE BULL	BOSELAPHUS TRAGOCENMELUS
SLOTH BEAR, ASWAL	MELURSUS URSINUS
COMMON LANGUR	PRESBYTIS ENTELLUS
PORCUPINE, SAYAL, SALU	HYSTRIX INDICA
HARE, SASA	LEPUS NIGRICOLLIS
SAMBAR	CERVUS UNICOLOUR
WILD BOAR, RAN DUKAR	SUS SCROFA

LIST OF BIRDS

COMMON NAME	SCIENTIFIC NAME
POND HERON OR PADDY BIRD	ARDEOLA GRAYJI
CATTLE EGRET	BUBULCUS IBIS
WHITE BREASTED WATERHEN	AMAURORNIS PHOENICURUS
GREY PARTRIDGE	FRANCOLINUS PONDICERIANUS
JUNGLE BUSH QUAIL	PERDICULA ASIATICA
YELLOW WATTLED LAPWING	VANELLUS MALABARICUS
ROSE ROMGED PARAKEET	PSITTACULA KRAMERI
BLOSSON HEADED PARAKEET	PSITTACULA CYANOCEPHALA
ALEXANDRINE PARAKEET	PSITTACULA EUPATRIA
KOEL	EUDYNAMYS SCOLOPACEA
CROW PGEASABT(COUCAL)	CENTROPUS SICENSIS
SPOTTED OWKET	ATHENE BRAMA
COMMON INDIAN NIGHT JAR	CAPRIMULGUS ASIATICUS
WHITE BREASTED KINGFISHER	HALCYON SMYRENESIS
COMMON KINGFISHER	ALCEDO ATTHIS
GREEN BEE EATER	MEROPS ORIENTALIS
HOOPOE	UPUPA EPOPS
INDIAN ROLLER	CORACIAS BENGALENSIS
GOLDEN BACKED WOOD PECKER	DINOPIUM BENGHALENSE
RUFOUS BACKED SHRIKE	LANIUS SCHACK
GOLDEN ORIOLE	ORIOLUS RIOLUS
BLACK DRONGO	DICRURUS ADSIMILLIS

BRAHMINY MYNA	STURNUS PAGODARUM
COMMON MYNA	ACRIDOTHERES TRISTIS
HOUSE CROW	CORVUS SPLENDENS
JUNGLE CROW	CORVUS MACORTHYNCHOS
SMALL MINIVET	PERICROCOTUS CINNAMONEUS
COMMOM LORA	AEGITHINA TIPHIA
RED VENTED BULBUL	PYCNONQUS CAFER
COMMON BABBLER	TURDOIDES CAUDATUS
WHITE THROATED FANTAIL FLYCATCHER	RHIPIDURA ALBICOLLIS
PARADISE FLYCATCHER	TERPSIPHONE PARADISI
MAGPIE ROBIN	COPSYCHUS SAULARIS
IDIAN ROBIN	SAXICOLOIDES FULICATA
GRAY WAGTAIL	MOTACILLA CINEREA
PIED OR WHIT WAGTAIL	MOTACILLA ALBO
GREY TIT	PARUS MAUOR
PURPLE SUNBIRD	NECTARINIA ASIATICA
HOUSE SPARROW	PASSER DOMESTICUS

ENDANGERED WILDLIFE

PANTHER	PANTHER PARDUS
SLOTH BEAR	MELURSUS URSINUS
PEACOCK	PAVO CRISTATUS

ग्रामसभेची सूचना

सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती [4 (1-e)]

गाव ग्रामसभा : आठनाळा .... गट ग्रामपंचायत : काटकुंभ

तहसिल : धारणी .... जिल्हा : अमरावती

प्रति,

मा. ग्रामसभा आठनाळा ....

....

विषय – वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत मान्यता प्राप्त सामुहीक वन अधिकार क्षेत्राच्या नियोजन व व्यवस्थापन आराखड्याला अंतीम मान्यता देण्याबाबत.

मा. महोदय,

आपणास माहितच आहे की... आठनाळा .... गावाचे सामूहीक वन हक्क अधिकार मान्य झालेले आहे. वन हक्क कायद्याच्या कलम ५ अनुसार सामुहीक वन हक्क व्यवस्थापन समिती, गाव समुदाय आणि 'खोज' संस्थेच्या तांत्रीक सहकार्याने वन नियोजन व प्रबंधन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. सदर आराखडा हा वन विभागाच्या कार्य आयोजनेचा भाग म्हणुन जोडला जाईल. सदर नियोजनाची मांडणी चर्चा होवून अंतीम स्वरूपात मान्यता या ग्रामसभेत होणार आहे. त्यात आपली मोलाच्या सूचना मिळाव्यात याकरीता आपली उपस्थिती महत्वाची आहे. सदर ग्रामसभा बैठक गाव ..आठनाळा........... येथे गावाचे [illegible] ठिकाणी दिनांक २०/०५/१८ .... रोजी ....५:०० .... वाजता आयोजित करण्यात येत आहे.

कृपया, सदर ग्रामसभेत आपण उपस्थित राहुन सदर व्यवस्थापन आराखडा अधिक उत्तम स्वरूपात बनविण्यात येण्याकरीता उपयुक्त सूचना व मते मांडवित ही नम्र अपेक्षा.

सधन्यवाद

आपले विश्वासू

अध्यक्ष/सचिव

सामुहीक वनहक्क व्यवस्थापन समिती आठनाळा

दिनांक :

प्रतिलीपी :

१. मा. वनरक्षक/वनपाल ....

२. मा. कृषि पर्यवेक्षक ....

३. मा. पशु वैद्यकिय अधिकारी ....

४. मा. अभियंता लघु सिंचन ....

५. मा. विशेष कार्यक्रम अधिकारी म.ग्रा.रो.ह.का. योजना ....

६. मा. लागवड अधिकारी, सामाजिक वनिकरण ....

७. मा. वन परिक्षेत्र अधिकारी, कार्यालय ....

८. मा. संचालक 'खोज' संस्था कार्यालय गौरखेडा कुंभी

९. मा. सरपंच/सचिव गट ग्रामपंचायत कार्यालय

Received 21/05/18

21/5/2018

ग्रामसभा : आठनाडा

PAGE NO.:

DATE: / /

ठराव -

ग्रामसभा : आठनाडा
गट ग्रा. पं. काटकुंभ
तहसिल :- धारणी,
जिल्हा :- अमरावती,
दिनांक :- २८।०५।१८

आज दि. २८।०५।१८ समय १२.०० गाव आठनाडा की ग्रामसभा बैठक का आयोजन श्री. बंन्सीलाल धांडे (सरपंच) इन की अध्यक्षता मे किया गया। इस ग्रामसभा मे वन अधिकार कानून - 2006 के तहत प्राप्त सामूहिक वन अधिकार क्षेत्र का वन संवर्धन, सुरक्षा संबंधी नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का वाचन कर उपयुक्त सुचना एवं सुझावों को जोडकर अंतिम रुप मे सर्व सहमती से मंजुरी दी गई। जिसके अनुसार

क ग्रामसभा आठनाडा द्वारा घोषित किया जाता है कि, साथ जोडा गया वन नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा पूरी चर्चा कर आज से १० वर्ष के लिये स्विकृत किया जाता है।

ख यह भी घोषित किया जाता है कि, साथ जोडा "ग्रामसभा नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा वन विभाग द्वारा बनाये गये प्रबंधन मसौदा / सुक्ष्म नियोजन मसौदा / चालु मसौदा (Management Plan Working Plan इन से निम्न अनुसार सुसंबद्ध रहेगा।

PAGE NO.: 65
DATE: / /

१) ग्राम का वन नियोजन एवं प्रबंधन प्रस्ताव का मसौदा इससे आगे वन विभाग का वन प्रबंधन मसौदा / सुक्ष्म नियोजन मसौदा / चालु मसौदा (कार्य आयोजन) आदि मे अंतर्भूत रहेगा।

२) वन विभाग का प्रबंधन मसौदा / सुक्ष्म नियोजन मसौदा चालु मसौदा तथा गाव का सामुहिक वन नियोजन एवं प्रबंधन मसौदा आदि मे कानूनी प्रावधानों के अनुसार सुसंगत न हो ऐसा भाग वन विभाग के सहकार्य से निश्चय किया जायेगा !

ग) ग्राम सामुहिक वन संसाधन प्रबंधन समिती (अथवा ग्रामसेवक ग्राम पंचायत) इन्होने इस मसौदे के प्रति स्थानिक जिल्हा वन संरक्षण को भेजने बाबद सुचित किया जाता है।

घ) यह भी घोषित किया जाता है कि यह ग्रामसभा जब जरुरी समझेगी तब इस प्रबंधन मसौदे मे सुधार करना साथ हि वन विभाग के सुक्ष्म / चालु प्रबंधन मसौदे के भाग सुधार करने बाबद हक अपने पास रखती है।

च) इसके बाद यह भी घोषित किया जाता है कि, कोई भी इस सामुहिक वन ~~उपक्रम इस ग्रामसभा की पूर्व सुचित अनुमती~~ अधिकार क्षेत्र मे प्रबंधन, वृक्ष, रोपण, वृक्षतोड तथा वनों का पुनरुज्जीवन जैसे उपक्रम इस ग्रामसभा की पूर्व सुचित अनुमति के बगैर कर नाही सकेंगे। ठराव सर्व सहमती से मंजूर

ग्रामसभा मे उपस्थित लोगो के नाम, सही / अंगूठा

१ श्री. वंसीधार धोन्डे (सरपंच ग्रा.प. खारकुंभ)
२ " सुखराम भोजी बेडेकर (ग्रा.प.सदस्य)

PAGE NO.: 46
DATE: / /

३)	गिरिश आचार्य (पो. पुलिस)		- [illegible]
४)	सुखराम जाम्बेकर (शौ. सेवक		[illegible]
५	नंदकिशोर बेठेकर		[illegible]
६	मोजीलाल चिलाटी		मोजीलाल
७	भूरेलाल जाम्बेकर		भूरेलाल
८	सायबराम बेठेकर		सायबराम
९	रामचंद जाम्बेकर		[illegible]
१०	छब्बा जाम्बेकर		छब्बा
११	शोभाराम कास्देकर		शोभाराम
१२	प्रेमलाल चिलाटी		Premlal
१३	श्यामलाल चिलाटी		श्यामलाल
१४	रमेश्वर चिलाटी		रामेश्वर
१५	भिल्या चिलाटी		भिल्या
१६	सुखराम कावरकर		सुखराम
१७	सुनिल मावस्कर		[illegible]
१८	गेंदालाल कास्देकर		गेंदालाल
१९	बुद्धू चिलाटे		बुद्धू
२०	शंकर कास्देकर		[illegible]
२१	कालू जाम्बेकर		कालू
२२	परसु जामेकर		परसु
२३	हिरलाल जांबेकर		हिरालाल
२४	बाबुलाल चिलाटी		बाबुलाल
२५	सुरजालाल भावसकर		सुरजालाल
२६	रामलाल कास्देकर		रामलाल
२७	नारायन कास्देकर		नारायण

PAGE NO.: ४७
DATE: / /

२८	रूपचंद	बेडेकर	रुपचंद
२९	सुकराम	जाम्बेकर	सुकराम
३०	राजेश	बेडेकर	[illegible]
३१	सानु	बेडेकर	सानु
३२	प्रभु	जाम्बेकर	प्रभु
३३	सोनजी	भावसकर	सोनजी
३४	रामकीसन	जाम्बेकर	रामकिसन
३५	नांदू	भावसकर	[illegible]
३६	सालीकराम	जाम्बेकर	सलीकराम
३७	हरिचंद	जाम्बेकर	हरिचंद
३८	मान्जुलाल	जाम्बेकर	
३९	सीमा	बेडेकर	सीमा
४०	राजाराम	कासदेकर	राजाराम
४१	गोमा	बेडेकर	गोमा
४२	बालकाराम	भावसकर	बालकराम
४३	उमेश	बेडेकर	—
४४	मुन्सी	चिलाटी	मुन्शी
४५	कमा	चिलाटी	कमा
४६	मनोज	कासदेकर	[illegible]
४७	सुरेश	भावसकर	सुरेश
४८	बकुलू	जाम्बेकर	बाकलु
४९	कालू	भावसकर	कालू
५०	प्रकास	बेडेकर	प्रकाश
५१	दीनेश	बेडेकर	[illegible]
५२	चिरंजीव	बेडेकर	चिरंजीलाल
५३	रामचंद	बेडेकर	रामचंद

PAGE NO.: ५८
DATE: / /

५४	कालया	जाम्येकर	काल्या
५५	सामुळू	फरडे	[illegible]
५६	दीलीप	जाम्येकर	Dilip
५७	सुरज	चिलटी	—
५८	सोनजी	बेठेकर	—
५९	रामलाल	बेठेकर	रामलाल
६०	सोनेकलाल	बेठेकर	सोनेकल
६१	शमलाल	चिलटी	शामल
६२	रामलाल	चिलटी	रामलाल
६३	मुन्ना	चिलटी	मुन्न
६४	आसोक	जाम्येकर	[illegible]
६५	नांकराम	जाम्येकर	नानक
६६	आसराम	शेलुकर	हरि
६७	हरि	शेलुकर	[illegible]
६८	गोपल	धान्दे	गोप
६९	बाडु	धान्दे	बाडू [illegible]
७०	सुखलाल	धान्दे	[illegible]
७१	रूपलाल	भावसकर	रूपल
७२	विसुलाल	कास्देकर	विसुल
७३	विसु	कास्देकर	[illegible]
७४	सतीश	भावसकर	[illegible]
७५	दीलीप	जाम्येकर	[illegible]
७६	नांदलाल	जाम्येकर	नंदल
७७	नांदु	जाम्येकर	[illegible]
७८	बासु	भावसकर	बासू
७९	किसाराम	चिलटी	

PAGE NO.: 49
DATE: / /

८०	ओंकार	चिलाटी	
८१	भगलू	कास्डेकर	भगलू
८२	अरजुन	बेठेकर	(अ) बेठेकर
८३	चुन्नीलाल	बेठेकर	चुन्नीलाल
८४	अरुन	बेठेकर	Arun
८५	दीपक	चिलाटी	
८६	मोतीलाल	~~जाम्बेकर~~ चिलाटी	मोतीलाल
८७	रविंद्र	जाम्बेकर	[illegible]
८८	तोतराम	जाम्बेकर	तोताराम
८९	आजु	जाम्बेकर	[illegible]
९०	नारयाल	जाम्बेकर	[illegible]
९१	पटेल	चिलाटी	[illegible]
९२	शंकर	कास्डेकर	शंकर
९३	शकलाल	कास्डेकर	शकलाल
९४	छोटेलाल	कास्डेकर	छोटेलाल
९५	कीसन	जाम्बेकर	[illegible]
९६	सुदम	चिलाटी	[illegible]
९७	सांभुलाल	चिलाटी	
९८	बाबुलाल	बेठेकर	
९९	ब्राडु	बेठेकर	
१००	कीसोर	कास्डेकर	
१०१	झुनका	~~बेठेकर~~ जाम्बेकर	झुनका
१०२	काली	जाम्बेकर ~~चिलाटी~~	
१०३	बिसराम	चिलाटी	बिसराम
१०४	जासो	चिलाटी	जासो
१०५	अनिता	बेठेकर	अनीता

PAGE NO.: 50
DATE: / /

१०६	अनिता	जोम्बेकर	आनीता
१०७	जमुना	जोम्बेकर	जमुना
१०८	नरबदी	बेठेकर	नरबदी
१०९	झिमाय	चिलाठी	झिमाय
११०	सुखराम	मावस्कर	सुखराम
१११	शामलाल	मावस्कर	[illegible]
११२	मेंढलाल	कास्देकर	गेंदालाल
११३	मोतिलाल	जोम्बेकर	मोतीला[illegible]
११४	नानी	जोम्बेकर	नानी
११५	जासवंती	मावस्कर	जसवन्[illegible]
११६	जमुना	कास्देकर	जमुना
११७	पार्वती	कास्देकर	[illegible]
११८	सुकई - सा.	बेठेकर	सुकई
११९	वैशाली	चिलाठी	वैशाली
१२०	गोविंद	दारसिंबे	गोविंदा
121	सुखदा	बेठेकर	सुखदा
122	रामस्वर	चिलाठी	रामेश्वर
123	किसनी	जोम्बेकर	[illegible]

परिशिष्ठ 4 : संक्षिप्त

१. FRA - वनअधिकार कानून.

२. CFR - सामुहिक वन अधिकार.

३. JFM - संयुक्त वन व्यवस्थापन.

४. DCF - उपवन संरक्षक.

५. CCF - मुख्यवन संरक्षक.

६. CEO - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.

७. PO - प्रकल्प अधिकारी (आदिवासी विकास विभाग).

८. ATC - अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त.

९. PS - प्रधान सचिव.

१०. ४ (१) ई समिती -गाव की, वन प्रबंधन, नियोजन तथा जैव विविधता समिती.

११. Ha - हेक्टर.

१२. MFP - गौण वन उपज.

१३. NTFP - गैर काष्ठ वन उपज.

१४. WAT - जल शोषक चर.

१५. CCT - समतल सलग चर.

१६. DCT - खंडीत सलग चर.

१७. LBS - दगडी बांध

१८. GS - जाली के बंधारे

१९. CSB - समलग पत्थर बांध

२०. GB - खेती का धुरा बांध

२१. WV - पानी जाने की नाली

२२. FD - सांडवा

२३. Rmt - रनींग मिटर